रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09032024-252809
CG-DL-E-09032024-252809

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 155] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 7, 2024/फाल्गुन 17, 1945
No. 155] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 7, 2024/PHALGUNA 17, 1945

आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2024

फा. सं. एल/12015/25/2021-एएस(I).—आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2020 (2020 का 16) की धारा 28 की उप-धारा (1) के अनुच्छेद (ट) और धारा 13 के अनुच्छेद (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से , निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी नियम, 2024 है।

(2) वे आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" का अर्थ है आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2020 (2020 का 16);

(ख) "संबद्ध विषय" का अर्थ सामान्य रूप से स्वास्थ्य विज्ञान से है और आयुर्वेद को विशेष रूप से एक संबद्ध विषय माना जाएगा;

(ग) "आवेदक" का अर्थ एक व्यक्ति है जो निर्धारित आवेदन पत्र में संस्थान के डॉक्टरेट डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन करता है;

(घ) "सह-गाइड " या "सह-पर्यवेक्षक" का अर्थ है एक अतिरिक्त गाइड या पर्यवेक्षक, जहां भी आवश्यक हो, जिसे स्कॉलर के शोध कार्य का मार्गदर्शन या पर्यवेक्षण करने के लिए विभागीय अनुसंधान समिति द्वारा अनुमोदित किया गया हो और सह-गाइड या सह-पर्यवेक्षक संस्थान का पूर्णकालिक सदस्य हो भी सकता है;

(ङ) "परीक्षा नियंत्रक" का अर्थ संस्थान के सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त परीक्षा नियंत्रक से है;

(च) "सह-प्रधान अन्वेषक" का अर्थ है एक अतिरिक्त अन्वेषक, जहां भी आवश्यक हो, जिसे संस्थागत अनुसंधान समिति द्वारा अनुसंधान परियोजना के लिए प्रधान अन्वेषक की सहायता के लिए अनुमोदित किया गया हो और वह संस्थान का पूर्णकालिक सदस्य हो भी सकता है और नहीं भी;

(छ) "पाठ्यक्रम कार्य" का अर्थ है विभागीय अनुसंधान समिति के माध्यम से विभाग द्वारा डॉक्टरेट डिग्री कार्यक्रम के लिए पंजीकृत स्कॉलरों के लिए अध्ययन के पाठ्यक्रम;

(ज) "डॉक्टोरल डिग्री" का अर्थ निम्नलिखित विषयों में इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्री है, अर्थात्: -

(i) डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी-पीएचडी (आयुर्वेद) (आयुर्विद्यावारिधि);

(ii) डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी-पीएचडी (आयुर्वेद फार्मेसी); या

(iii) डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी-पीएचडी (मेडीसिनल प्लांट); या

(iv) डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी-पीएचडी (संबद्ध विज्ञान); या

(v) डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी-पीएचडी (ट्रांसडिसिप्लिनरी)

(झ) "गाइड" या "पर्यवेक्षक" का अर्थ संस्थान का एक पूर्णकालिक नियमित फैकल्टी से है जिसे अकादमिक परिषद द्वारा किसी शोध स्कॉलर के डॉक्टरेट डिग्री अनुसंधान कार्य का मार्गदर्शन या पर्यवेक्षण करने के लिए अनुमोदित किया गया है;

(ञ) "संस्थागत आचार समिति" का अर्थ भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा दिए गए संविधान के अनुसार तीन वर्ष की अवधि के लिए है, जिसमें अध्यक्ष (संस्थान के बाहर से), सदस्य सचिव (आयुर्वेदिक चिकित्सक), दार्शनिक/नीतिशास्त्री, चिकित्सा विशेषज्ञ, बुनियादी चिकित्सा वैज्ञानिक (फार्माकोलॉजिस्ट), शामिल हैं। संस्थान के बाहर से चिकित्सक, चिकित्सा विशेषज्ञ-आयुर्वेदिक विज्ञान, समुदाय के सामान्य व्यक्ति-महिला और पुरुष, समाज वैज्ञानिक और कानूनी सलाहकार शामिल हैं;

(ट) "संस्थागत पशु आचार समिति" का अर्थ पांच वर्ष की अवधि के लिए जानवरों पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए समिति से है, जिसमें जैव वैज्ञानिक, पशु गृह सुविधा के प्रभारी वैज्ञानिक, विभिन्न जैविक अनुशासन के दो वैज्ञानिक, एक पशुचिकित्सक, मुख्य नामांकित व्यक्ति, लिंक नामांकित व्यक्ति, बाहरी संस्थान के वैज्ञानिक और सामाजिक जागरूक नामांकित व्यक्ति शामिल हैं;

(ठ) "संस्थान निकाय" का अर्थ है अधिनियम के तहत एक निगमित निकाय के रूप में एकत्रित और स्थापित पूर्ववर्ती संस्थान।

(ड) "संयुक्त या दोहरी डॉक्टरेट डिग्री कार्यक्रम" का अर्थ एक स्कॉलर द्वारा किए गए अनुसंधान और प्रशिक्षण का एक कॉट्यूटेल कार्यक्रम है जो किसी भी विषय या अंतःविषय क्षेत्रों में एक साथ दो अलग-अलग संस्थानों में पर्यवेक्षकों द्वारा समवर्ती रूप से नामांकित और पर्यवेक्षण किया जाता है, और दोनों संस्थानों की डिग्री आवश्यकताओं के अनुसार सफलतापूर्वक पूरा होने पर, संस्थानों द्वारा दो अलग-अलग डिग्री प्रमाणपत्र (टेस्टामर्स) जारी किए जाएंगे।

(ढ) "पीएच.डी. ओपन डिफेंस" का अर्थ है शोध प्रबंध के मूल्यांकन और परीक्षकों और विभागीय अनुसंधान समिति की सिफारिश के बाद अनुसंधान स्कॉलरों द्वारा अनुसंधान डिग्री समिति के समक्ष अनुसंधान निष्कर्षों की प्रस्तुति;

(ण) "पीएचडी प्रपोजल डिफेंस" का अर्थ है शोध स्कॉलर द्वारा संस्थागत अनुसंधान समिति के समक्ष शोध प्रबंध के संक्षेप सार की प्रस्तुति;

(त) "प्री-पीएचडी डिफेंस" का अर्थ है निर्दिष्ट अवधि के भीतर शोध स्कॉलर द्वारा शोध कार्य पूरा करने के बाद संस्थागत अनुसंधान समिति के समक्ष शोध निष्कर्षों की प्रस्तुति;

(थ) "प्रधान अन्वेषक" का अर्थ है परियोजना के निष्पादन के दौरान परियोजना से संबंधित मामलों और बौद्धिक संपदा के सृजन के संबंध में संस्थागत अनुसंधान समिति के साथ संवाद करने के लिए अनुसंधान परियोजना के लिए संस्थान द्वारा नामित व्यक्ति।

(द) "पंजीकरण अवधि" का अर्थ है पंजीकरण की तारीख से लेकर शोध कार्य के पीएचडी ओपन डिफेंस तक की अवधि;

(ध) "शोध स्कॉलर" का अर्थ इन विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन में संस्थान के डॉक्टरेट डिग्री कार्यक्रम के लिए अनुसंधान के लिए पंजीकृत व्यक्ति;

(न) "निवास अवधि" का अर्थ वह अवधि है जिसके लिए शोध स्कॉलर पूर्णकालिक आधार पर संस्थान में उपस्थित रहेंगे;

(य) "उद्देश्य का विवरण" का अर्थ वह दस्तावेज़ है जो योग्य आवेदक द्वारा संबंधित विभागीय अनुसंधान समिति को प्रस्तुत किया जाएगा;

(र) "शिक्षक" का अर्थ है एक व्यक्ति जिसे नियमित आधार पर संस्थान में व्याख्याता या सहायक प्राध्यापक, प्रपाठक या सह-प्राध्यापक, प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जाता है और बुनियादी विज्ञान विभाग में फार्माकोलॉजिस्ट, फार्मास्युटिकल केमिस्ट, फार्माकोग्नोसिस्ट, बायोकेमिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया जाता है;

(ल) "ट्रांसडिसिप्लिनरी विषय" का अर्थ स्वास्थ्य विज्ञान के अलावा अन्य विषय से है, और

(व) "वैध पंजीकरण" का अर्थ है कि वह स्कॉलर जो पूर्ण देय राशि का भुगतान करने के बाद डॉक्टरेट कार्यक्रम के लिए पंजीकृत हुआ है।

(2) यहां उपयोग किए गए और परिभाषित नहीं किए गए लेकिन अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम में उन्हें दिया गया है।

3. अनुसंधान समितियाँ - संस्थान के डॉक्टरेट डिग्री कार्यक्रम से जुड़े सभी मामले अनुसंधान समितियों द्वारा इन नियमों के अनुसार संस्थान के शासी निकाय के सामान्य पर्यवेक्षण के अधीन निपटाए जाएंगे।

4. संस्थागत अनुसंधान समिति- (1) एक संस्थागत अनुसंधान समिति होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात्:-

संस्थान की संस्थागत अनुसंधान समिति		
1.	निदेशक	अध्यक्ष;
2.	उपनिदेशक (स्नातकोत्तर)	सदस्य;
3.	उपनिदेशक (फार्मेसी)	सदस्य;
4.	डीन(शैक्षणिक)	सदस्य;
5.	सदस्य सचिव, संस्थागत आचार समिति	सदस्य;

6.	सदस्य सचिव, संस्थागत पशु आचार समिति	सदस्य;
7.	जैवसांख्यिकीविद्	सदस्य;
8.	अध्यक्ष द्वारा अधिमानत: रोटेशन के आधार पर नामित बायोकेमिस्ट्री या पैथोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी प्रमुख, जिसे अध्यक्ष द्वारा अंतिम रूप दिया जा सकता है।	सदस्य;
9.	अध्यक्ष द्वारा अधिमानत: रोटेशन के आधार पर नामित फार्माकोलॉजी या फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री या फार्माकोग्नॉसी प्रमुख,जिसे अध्यक्ष द्वारा अंतिम रूप दिया जा सकता है।	सदस्य;
10.	अध्यक्ष द्वारा अधिमानत: रोटेशन के आधार पर नामित स्नातकोत्तर शिक्षण विभागों के तीन प्रमुख, जिसे अध्यक्ष द्वारा अंतिम रूप दिया जा सकता है।	सदस्य;
11.	संस्थान के लेखा अनुभाग का प्रमुख,	सदस्य;
12.	अध्यक्ष द्वारा नामित तीन आमंत्रित बाहरी विशेषज्ञ	सदस्य; और
13.	डीन (अनुसंधान)	सदस्य सचिव

(2) संस्थागत अनुसंधान समिति का गठन तीन वर्ष की अवधि के लिए डीन (अनुसंधान) की सिफारिशों पर निदेशक द्वारा किया जाएगा।

(3) सिफारिशें करते समय, संस्थागत अनुसंधान समिति यह सुनिश्चित करेगी कि सिफारिशें इन नियमों के अनुरूप की गई हैं और उसके पास निम्नलिखित शक्तियां और कार्य होंगे, अर्थात्: -

(क) संस्थान की अनुसंधान गतिविधियों की समीक्षा और निगरानी करना;

(ख) अनुसंधान प्रस्तावों और अन्य अनुसंधान परियोजना से संबंधित मामलों की समीक्षा और अनुमोदन करना;

(ग) विभागीय अनुसंधान समिति की सिफारिशों की जांच करना और उचित निर्णय लेना;

(घ) प्रस्तावित प्रायोजित अनुसंधान कार्य या परियोजना की प्रकृति, उद्देश्य, गुणवत्ता और व्यवहार्यता निर्धारित करने के लिए प्रायोजक एजेंसियों के आवेदनों की जांच करना और यदि कोई हो तो उसे मंजूरी देना और आवश्यक सिफारिशें करना;

(ड.) प्रस्तावित प्रायोजित शोधकार्य या परियोजना के लिए प्रधान अन्वेषक की नियुक्ति करना;

(च) सह-प्रधान अन्वेषक, यदि कोई हो, को प्राथमिकता देकर विशेष परिस्थितियों में अनुसंधान परियोजनाओं के प्रधान अन्वेषक को बदलना;

(छ) किसी भी प्रतिष्ठित संगठन या एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापन की समीक्षा और अनुशंसा करना।

(4) संस्थागत अनुसंधान समिति वर्ष में त्रैमासिक या कम से कम दो बार बैठक करेगी, तथापि, संस्थागत अनुसंधान समिति के अध्यक्ष अनुसंधान संबंधी गतिविधियों संबंधी चर्चा करने के लिए किसी भी समय बैठक बुलाएंगे।

(5) प्रत्येक संस्थागत अनुसंधान समिति की बैठक के बाद, सदस्य-सचिव बैठक का कार्यवृत्त तैयार करेगा और सदस्यों के बीच वितरण के बाद अध्यक्ष के अनुमोदन से सदस्य-सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और कार्यवृत्त की प्रति निदेशक और परीक्षा नियंत्रक और अन्य संबंधितों को सूचित की जाएगी।

(6) बैठक का कोरम पूरा करने के लिए न्यूनतम पचास प्रतिशत सदस्यों का होना आवश्यक है।

5. विभागीय अनुसंधान समिति- (1) निदेशक द्वारा संस्थान के प्रत्येक शिक्षण विभाग के लिए तीन वर्ष की अवधि हेतु संबंधित विभागाध्यक्ष की सिफारिशों पर एक विभागीय अनुसंधान समिति का गठन किया जाएगा और प्रत्येक विभागीय अनुसंधान समिति में न्यूनतम पांच सदस्य होंगे।

(2) कोरम पूरा करने के लिए न्यूनतम पचास प्रतिशत की आवश्यकता है और पीएच.डी. डिग्री धारक एक नियमित शिक्षक विभागीय अनुसंधान समिति का सदस्य होगा।

(3) विभागीय अनुसंधान समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात्: -

संस्थान की विभागीय अनुसंधान समिति		
1.	विभागाध्यक्ष	अध्यक्ष;
2.	विभाग के सभी प्राध्यापक	सदस्य;
3.	रोटेशन के आधार पर वरिष्ठता के अनुसार विभाग के शिक्षण स्टाफ में से एक सह-प्राध्यापक	सदस्य;
4.	विभागीय अनुसंधान समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित अन्य विभाग का एक शिक्षक	सदस्य;
5.	अध्यक्ष द्वारा नामित मूल विज्ञान विभाग का एक प्रमुख	सदस्य;
6.	रोटेशन के आधार पर वरिष्ठता के अनुसार विभाग के शिक्षण स्टाफ से एक सहायक प्राध्यापक	सदस्य सचिव; और
7.	संबंधित विषय में अध्यक्ष द्वारा नामित एक बाहरी विशेषज्ञ	सदस्य

(4) डीन (शैक्षणिक), डीन (अनुसंधान) और उप निदेशक (स्नातकोत्तर) प्री-पीएचडी और पीएचडी ओपन डिफेंस और मौखिक परीक्षा के समय सदस्य होंगे।

(5) डीन (अनुसंधान) को किसी भी विभागीय अनुसंधान समिति की बैठक में भाग लेने का अधिकार दिया गया है और उसे संबंधित बैठक का सदस्य माना जाएगा।

(6) अध्यक्ष प्राध्यापक के श्रेणी का होगा और यदि अध्यक्ष प्राध्यापक के श्रेणी का नहीं है, तो निदेशक उसी विभाग के सह-प्राध्यापक या उपयुक्त व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकता है।

(7) अध्यक्ष को संस्थान के कर्मचारियों के ऐसे सदस्यों को सह-चयनित करने की शक्ति होगी जो अस्थायी सदस्य के रूप में उनके विचार-विमर्श में सहायक हो सकते हैं।

(8) संबंधित गाइड या पर्यवेक्षकों और सह-गाइड या सह-पर्यवेक्षकों को केवल उनके पर्यवेक्षण के तहत पीएचडी स्कॉलरों की प्रस्तुतियों के दौरान विभागीय अनुसंधान समिति की बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

(9) फार्मेसी कार्यक्रम के प्रत्येक विभाग के लिए, शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, स्नातकोत्तर-फार्मेसी विनियमन 2023 के अनुसार एक सामान्य विभागीय अनुसंधान समिति का गठन किया जाएगा।

(10) विभागीय अनुसंधान समिति कम से कम छह महीने में बैठक करेगी।

(11) सिफारिशें करते समय, विभागीय अनुसंधान समिति यह सुनिश्चित करेगी कि सिफारिशें इन नियमों के अनुरूप की गई हैं और इसमें निम्नलिखित शक्तियां और कार्य होंगे, अर्थात्:-

(क) योग्य आवेदकों के पंजीकरण के लिए या अन्यथा पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य के विवरण की जांच करना और आवश्यक सिफारिशें करना;

(ख) अनुसंधान के क्षेत्र को अनुमोदन देने के लिए जिसमें आवेदकों को अनुसंधान जारी रखने की सिफारिश की जाएगी और अनुसंधान कार्य का मार्गदर्शन करने के लिए गाइड या पर्यवेक्षक और सह-गाइड या सह-पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा;

(ग) यदि आवश्यक हो तो औचित्य के साथ गाइड या पर्यवेक्षक के परिवर्तन की सिफारिश करना;

(घ) पीएच.डी. नियमन के अनुसार अवधि को बढ़ाना; और

(ड.) शोध कार्यों की प्रगति रिपोर्ट का मूल्यांकन करना और शोध कार्य से संबंधित अन्य सभी मुद्दों पर चर्चा करना।

(12) प्रत्येक विभागीय अनुसंधान समिति की बैठक के बाद, विभागीय अनुसंधान समिति के सदस्य-सचिव को बैठक का कार्यवृत्त तैयार करना होगा और सदस्यों के बीच परिचालित करने के बाद समिति के अध्यक्ष के अनुमोदन के साथ सदस्य-सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(13) कार्यवृत्त की एक प्रति परीक्षा नियंत्रक को भेजी जाएगी।

(14) विभागीय अनुसंधान समिति में किसी भी विवाद की स्थिति में, मामला संस्थागत अनुसंधान समिति को भेजा जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

6. अनुसंधान डिग्री समिति- (1) निदेशक द्वारा गठित अनुसंधान डिग्री समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात्:-

अनुसंधान डिग्री समिति		
1.	निदेशक	अध्यक्ष
2.	डीन(अनुसंधान)	सदस्य;
3.	डीन(शैक्षणिक)	सदस्य;
4.	संबंधित विभागीय अनुसंधान समिति के सभी सदस्य	सदस्य;
5.	संबंधित पीएच.डी. स्कॉलर के गाइड या पर्यवेक्षक	सदस्य;
6.	उस विशेष स्कॉलर के लिए बाह्य परीक्षक	सदस्य; और
7.	परीक्षा नियंत्रक (सीओई)	सदस्य-सचिव

(2) सिफारिशें करते समय, अनुसंधान डिग्री समिति यह सुनिश्चित करेगी कि सिफारिशें इन विनियमों के अनुरूप की गई हैं और उसके पास निम्नलिखित शक्तियां और कार्य होंगे, अर्थात्: -

(क) पीएचडी स्कॉलर की ओपन डिफेंस और मौखिक परीक्षा आयोजित करना; और

(ख) सफल स्कॉलर को पीएच.डी. डिग्री अवार्ड करने के लिए अनुशंसा करना।

7. आवेदकों का वर्गीकरण- डॉक्टरेट डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदकों को निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक के तहत वर्गीकृत किया जाएगा, अर्थात्: -

(क) आयुष मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित;

(ख) केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, किसी भी अनुसंधान योजना के तहत अन्य सरकारी संगठनों द्वारा वित्त पोषित;

(ग) सांस्कृतिक आदान-प्रदान छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित, स्व-वित्तपोषित विदेशी छात्र या स्कॉलर जिन्हें समझौता ज्ञापन के तहत प्रवेश दिया जाता है;

(घ) शैक्षणिक निकायों, शैक्षणिक संस्थानों, पेशेवर निकायों, गैर-सरकारी संगठनों द्वारा वित्त पोषित;

(ड.) स्व-वित्तपोषित;

(च) रिसर्च एसोसिएट या सीनियर रिसर्च फेलो या जूनियर रिसर्च फेलो;

(छ) कैंपस के शिक्षक या स्टॉफ (नियमित या संविदात्मक);

(ज) रजिस्टर्ड ड्वेल डॉक्टोरल डिग्री कार्यक्रम के लिए नामांकित।

8. प्रवेश - (1) डॉक्टरेट डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश संबंधित विभाग के उन सभी विषयों में होगा जहां संस्थान द्वारा स्नातकोत्तर कार्यक्रम पेश किए जा रहे हैं।

(2) संबद्ध या ट्रांसडिसिप्लिनरी अनुसंधान के लिए, प्रवेश स्कॉलर द्वारा चयनित विषय-विशिष्ट गाइड की उपलब्धता पर किया जाएगा।

(3) पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदकों के पास निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए, अर्थात्: -

(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या विधि द्वारा स्थापित संस्थान से आयुर्वेद में स्नातकोत्तर डिग्री; या

(ख) आयुर्वेद फार्मेसी में स्नातकोत्तर डिग्री [एम.फार्मा (आयुर्वेद)] या मेडिसिनल प्लांट्स [एम.एससी. (मेडिसिनल प्लांट्स)] या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या विधि द्वारा स्थापित संस्थान से विशेषज्ञता के अनुसार संबंधित क्षेत्र; या

(ग) विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबद्ध या ट्रांसडिसिप्लिनरी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री।

(4) विदेशी नागरिकों के लिए पात्रता योग्यताएं वही हैं जो भारतीय नागरिकों के लिए इन नियमों में निर्दिष्ट हैं और इसके अलावा, उन्हें भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के माध्यम से अपने आवेदन प्रस्तुत करने होंगे।

(5) पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश वर्ष में एक बार दिया जाएगा और प्रवेश की प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष अगस्त-सितंबर के महीने से शुरू की जाएगी और प्रवेश परीक्षा आम तौर पर प्रत्येक वर्ष अक्टूबर-नवंबर के महीने में आयोजित की जाएगी।

(6) प्रवेश की प्रक्रिया के लिए सभी महत्वपूर्ण तिथियां जैसे विज्ञापन की तिथि, आवेदन पत्र जारी करना, प्रवेश परीक्षा तथा परीक्षा परिणाम की तिथि, प्रयोजन विवरण प्रस्तुत करने की तिथि आदि प्राधिकरण द्वारा पहले से निर्धारित की जाएगी और संस्थान के शैक्षणिक कैलेंडर में उल्लिखित की जाएंगी।

(7) प्रवेश के लिए विज्ञापन के साथ-साथ योग्य उपलब्ध गाइडों की सूची, उनके विशिष्ट अनुसंधान क्षेत्र और उनके अंतर्गत रिक्तियां संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर डाली जाएंगी।

(8) सभी आवेदकों को प्रवेश परीक्षा के लिए निर्दिष्ट प्रारूप (अनुलग्नक-क) में समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की गई फीस के साथ आवेदन करना होगा।

(9) अपने संबंधित स्नातकोत्तर डिग्री के अंतिम वर्ष की परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक भी प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं, हालांकि उनका पंजीकरण, पंजीकरण के समय उन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के अधीन होगा।

(10) पात्रता परीक्षा आयुर्वेद के ज्ञान पर आधारित होगी जिसमें चिकित्सा विज्ञान, अनुसंधान पद्धति, जैव सांख्यिकी में विशेष वर्तमान प्रगति के संबंधित विषय पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और बहुविकल्पीय प्रश्न प्रारूप के दो प्रश्न पत्र होंगे, अर्थात् पेपर I और पेपर II प्रत्येक का अधिभार बराबर पचास अंको का होंगा।

(11) पेपर I में स्वास्थ्य विज्ञान में वर्तमान प्रगति के साथ-साथ अनुसंधान पद्धति और जैव सांख्यिकी पर प्रश्न शामिल होंगे और यह सभी आवेदकों के लिए सामान्य होगा और पेपर II विषय विशिष्ट होगा। प्रत्येक शैक्षणिक क्षेत्र के लिए अलग-अलग प्रश्नपत्र होंगे।

(12) प्रवेश परीक्षा की अवधि नब्बे मिनट होगी।

(13) एक आवेदक को न्यूनतम पचास प्रतिशत प्राप्त करने होंगें। सामान्य या अन्य पिछड़ा वर्ग या सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए संचयी अंक पचास प्रतिशत और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए पैंतालीस प्रतिशत है।

(14) यदि एक ही श्रेणी और एक ही विशेषज्ञता के आवेदक प्रवेश परीक्षा में संचयी समान अंक प्राप्त करते हैं, तो पेपर I में प्राप्त अंकों पर मेरिट के लिए विचार किया जाएगा और पेपर I में समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में, अंतिम वर्ष में स्नातक सैद्धांतिक परीक्षा के अंको पर मेरिट स्थान के लिए विचार किया जाएगा।

(15) अनुसंधान छात्र का चयन संबंधित विभागीय अनुसंधान समिति द्वारा योग्यताओं, पिछले अनुसंधान अनुभव के साथ-साथ प्रकाशनों और प्रस्तुत उद्देश्यों के विवरण तथा साक्षात्कार में संतोषजनक प्रदर्शन एवं प्रस्तुत अनुसंधान प्रस्ताव की व्यवहार्यता पर विचार करने के बाद किया जाएगा।

(16) स्कॉलर संबंधित विभाग में शामिल होंगे और पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करेंगे।

(17) संबद्ध या ट्रांसडिसिप्लिनरी स्कॉलरों का चयन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों पर आधारित होगा।

(18) केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय स्कॉलरों को प्रवेश परीक्षा से छूट दी जाएगी:

बशर्ते उन्हें संस्थान द्वारा निर्धारित किया गया पाठ्यक्रम पूरा करना होगा।

9. गाइड का चयन- मार्गदशकों के लिए अनुसंधान स्कॉलरों का आवंटन विभागीय अनुसंधान समिति द्वारा योग्यता के आधार पर और विभाग के अनुसंधान के क्षेत्र और शोध स्कॉलरों की प्राथमिकता और पर्यवेशको की स्वीकृति को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

10. स्टाइपेंडरी और नॉन-स्टिपेंडरी सीटों का आवंटन- (1) स्टाइपेंडरी सीटों के मामले में, उपलब्ध सीटें सभी विभागों के बीच समान रूप से आवंटित की जाएंगी और यदि संबंधित विभागों में पर्याप्त स्कॉलर उपलब्ध नहीं हैं, तो शेष सीटें संबंधित विभाग के दिशानिर्देशों के तहत सीटों की उपलब्धता के अधीन प्रवेश परीक्षा की मेरिट सूची के अनुसार अन्य विभागीय स्कॉलरों को आवंटित की जाएंगी।

(2) गैर-स्टाइपेंडरी सीटों के मामले में, योग्य अभ्यर्थी सीटों का चयन विषय की उपलब्धता और गाइड के पास सीटों की उपलब्धता के आधार पर कर सकते हैं।

11. पाठ्यक्रम कार्य- (1) सभी शोध स्कॉलरों को संस्थान द्वारा आयोजित छह माह की अवधि का शोध पद्धति और वैज्ञानिक लेखन पाठ्यक्रम कार्य अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा।

(2) पाठ्यक्रम कार्य का सिलेबस संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित किया जाएगा और समय-समय पर अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाएगा;

(3) स्कॉलर को अर्हता प्राप्त करने के लिए पचपन प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।

12. शोधप्रबंध का सार संक्षेप - (1) पाठ्यक्रम कार्य को संतोषजनक ढंग से पूरा करने के बाद, स्कॉलर गाइड या पर्यवेक्षक के अधीन अनुसंधान परियोजना का अपना सार संक्षेप अनुमोदन के लिए विभागीय अनुसंधान समिति को प्रस्तुत करेगा।

(2) विभागीय अनुसंधान समिति अनुमोदित सार संक्षेप को विभागाध्यक्ष के माध्यम से संस्थान के डीन (अनुसंधान) को संस्थागत अनुसंधान समिति के समक्ष प्रपोजल डिफेंस के लिए अग्रेषित करेगी और संस्थागत अनुसंधान समिति पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर प्रस्ताव को अनुमोदन दे सकती है।

(3) प्रपोजल डिफेंस के समय, स्कॉलर संस्थान के सभी शिक्षकों को सार संक्षेप का मूल्यांकन करने और प्रस्तावित शोध कार्य में सुधार के लिए सुझाव प्राप्त करने के लिए आमंत्रित करेगा।

(4) डीन (अनुसंधान) इन सार संक्षेप को संस्थागत आचार समिति या संस्थागत पशु आचार समिति को, जैसा लागू हो, अनुमोदन के लिए अग्रेषित करेगा।

(5) डीन (अनुसंधान) अनुमोदित सार संक्षेप को पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर शीर्षक के पंजीकरण के लिए परीक्षा नियंत्रक को अग्रेषित करेगा।

(6) पीएचडी शोध परियोजना के शीर्षक सहित पीएचडी सार संक्षेप में कोई भी बदलाव, स्कॉलर के पंजीकरण के छह महीने के भीतर संबंधित विभागीय अनुसंधान समिति की सिफारिश के आधार पर संस्थागत अनुसंधान समिति और संस्थागत नैतिकता समिति या संस्थागत पशु आचार समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

13. पीएच.डी.कार्यकाल- (1) डॉक्टरेट डिग्री कार्यक्रम के लिए अवधि ज्वाइन होने की तारीख से तीन वर्ष की होगी।

(2) निर्धारित अवधि में अनुसंधान कार्य पूरा नहीं होने पर संबंधित पर्यवेक्षक या गाइड की अनुशंसा पर विभागीय अनुसंधान समिति दो वर्ष तक का पाठ्य-विस्तार दे सकती है।

(3) पांच वर्ष की समयावधि के भीतर शोध कार्य पूरा न होने की स्थिति में विभागीय अनुसंधान समिति की अनुशंसा पर निदेशक द्वारा अधिकतम एक वर्ष का विस्तार दिया जा सकता है।

(4) यदि आवश्यक या लिया गया कुल समय प्रारंभिक पंजीकरण की तारीख से छह वर्ष से अधिक है, तो स्कॉलर को दो वर्ष की आगे की अवधि के लिए पीएचडी के लिए पुनःपंजीकरण कराना होगा।

(5) महिला अनुसंधान स्कॉलर और दिव्यांग व्यक्ति (चालीस प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले) को अतिरिक्त दो वर्ष की अनुमति दी जा सकती है, हालांकि, ऐसे मामलों में पीएचडी कार्यक्रम को पूरा करने की कुल अवधि पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश की तारीख से दस वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(6) स्टाइपेंडरी सीटों के लिए, पीएच.डी. की अवधि स्टाइपेंडरी पीएचडी कार्यक्रम में शामिल होने की तारीख से छत्तीस महीने का होगा।

(7) एक वर्ष में दो पीएच.डी. सत्र होंगे, जो प्रत्येक वर्ष जनवरी से शुरू होगा अर्थात जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर तक।

14. पंजीकरण- (1) प्रत्येक शोध स्कॉलर को संस्थान द्वारा समय-समय पर अधिसूचित फीस का भुगतान करना होगा (अनुलग्नक-ख)।

(2) प्रत्येक शोध स्कॉलर का शोध प्रबंध जमा करने के समय वैध पंजीकरण होना चाहिए।

(3) निम्नलिखित में से किसी भी घटना में, संस्थागत अनुसंधान समिति के अनुमोदन के बाद, स्कॉलरों का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा: -

(क) यदि स्कॉलर पूर्व सूचना और छुट्टी की मंजूरी के बिना एक महीने की लगातार अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है;

(ख) यदि स्कॉलर पीएचडी कार्यक्रम से हट जाता है और निकासी को संस्थागत अनुसंधान समिति द्वारा विधिवत स्वीकार कर लिया जाता है;

(ग) यदि कोई स्कॉलर इन विनियमों में निहित प्रावधानों के अधीन किसी शैक्षणिक वर्ष के शुल्क का भुगतान करने में विफल रहता है;

(घ) यदि अनुसंधान कार्य की प्रगति लगातार तीन सत्रों में असंतोषजनक पाई जाती है; और

(ङ) यदि स्कॉलर कदाचार या अनुशासनहीनता या दोनों में शामिल पाया जाता है।

15. **गाइड या पर्यवेक्षक और सह-गाइड या सह-पर्यवेक्षक**- (1) पीएच.डी. गाइड या पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता के लिए, संस्थान के स्थायी सदस्य को समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की गई फीस (अनुलग्नक-ग) के साथ निर्दिष्ट प्रोफार्मा में आवेदन करना होगा।

(2) एक शिक्षक के पास संबंधित या संबद्ध विषय में पीएच.डी. डिग्री हो, कुल पांच वर्ष का शिक्षण या अनुसंधान का अनुभव होने पर पीएचडी गाइड या पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

(3) उप-नियम (2) में उल्लिखित योग्य गाइड की अनुपलब्धता के मामले में, निदेशक को अंतरिम उपाय के रूप में विषय के किसी भी सक्षम शिक्षक को गाइडशिप आवंटित करने का अधिकार होगा।

(4) सामान्यतः, एक समय पर किसी संबंधित विभाग में एक प्राध्यापक के अधीन आठ से अधिक स्कॉलर, एक सह-प्राध्यापक के अधीन छह स्कॉलर और एक सहायक प्राध्यापक के अधीन चार से अधिक स्कॉलर नहीं होंगे।

(5) पीएच.डी. कार्यक्रम के मामले में, बुनियादी विज्ञान विभाग के प्रमुख या शिक्षक एक समय में अधिकतम चार शोध स्कॉलरों (पांच वर्ष का अनुभव), छह स्कॉलरों (दस वर्ष का अनुभव) और आठ शोध स्कॉलरों (पंद्रह वर्ष का अनुभव) का मार्गदर्शन कर सकते हैं।

(6) स्कॉलर की प्रीपीएचडी डिफेंस की तिथि से उप-नियम (4) और (5) में उल्लिखित कोटा की गणना करते समय अनुसंधान गाइड या पर्यवेक्षक के अधीन सीट रिक्त मानी जायेगी।

(7) एक शिक्षक को अपनी सेवानिवृत्ति से तीन वर्ष पहले शोध स्कॉलरों को पंजीकृत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और यदि संस्थान द्वारा स्कॉलर के शोध कार्य का मार्गदर्शन करने के लिए नियुक्त गाइड या पर्यवेक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है या नौकरी छोड़ देता है और इस अवधि के दौरान, यदि स्कॉलर ने पर्यवेक्षण के तहत नियोजित अनुसंधान कार्य पहले से ही निर्दिष्ट अनिवार्य कार्यकाल में पूरा कर लिया है तो स्कॉलर को अपने मूल गाइड या पर्यवेक्षक के नाम पर जारी रखने की अनुमति दी जाएगी।

(8) यदि संस्थान द्वारा स्कॉलर के अनुसंधान कार्य का मार्गदर्शन करने के लिए नियुक्त गाइड या पर्यवेक्षक सेवानिवृत्ति के आधार पर अन्यथा स्कॉलर के दो वर्ष के कार्यकाल के पूरा होने से पहले गाइड या पर्यवेक्षक नहीं रह जाता है और यदि उसके बाद कोई सह-गाइड या सह-पर्यवेक्षक गाइड के लिए योग्य होता है, तो वह स्वचालित रूप से अनुसंधान स्कॉलर का गाइड हो जाएगा और यदि सह-गाइड गाइड-शिप के लिए पात्र नहीं है, तो अगले गाइड या पर्यवेक्षक को कार्यभार सौंपने के संबंध में संबंधित स्कॉलर के विचारों पर उचित विचार करने के बाद विभागीय अनुसंधान समिति द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

16. स्टाइपेंड या फैलोशिप- (1) संस्थान पात्र अनुसंधान स्कॉलरों को संस्थान द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार स्टाइपेंड या फैलोशिप प्रदान करेगा।

(2) अनुसंधान स्कॉलरों को संबंधित गाइड या पर्यवेक्षक या विभागाध्यक्ष द्वारा सौंपी गई शिक्षण सहायता में शामिल होने की आवश्यकता होगी।

(3) सभी अनुसंधान स्कॉलर जिन्हें संस्थान द्वारा स्टाइपेंड या फेलोशिप या आकस्मिक अनुदान से दिया गया है, वे अपना पूरा समय डॉक्टरेट अनुसंधान के लिए समर्पित करेंगे और स्वयं को पूर्णकालिक या अंशकालिक पेशेवर प्रैक्टिस अथवा सार्वजनिक या निजी संस्थानों या संगठनों के साथ रोजगार में संलग्न नहीं करेंगे और इस उद्देश्य के लिए प्रवेश के समय स्कॉलरों द्वारा इस संबंध में एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

(4) पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश और स्टाइपेंड या फ़ेलोशिप प्रदान करने को संबद्ध नहीं किया जाएगा और कार्यक्रम में प्रवेश से फ़ेलोशिप की गारंटी नहीं दी जाएगी और जिन लोगों को फ़ेलोशिप नहीं दी गई है वे स्व-वित्तपोषण स्कॉलर के रूप में कार्यक्रम जारी रख सकते हैं।

(5) स्टाइपेंड या फेलोशिप, यदि प्रदान की जाती है, तो नियमों के अनुसार अधिकतम छत्तीस महीने के लिए ही उपलब्ध होगी।

(6) सवैतनिक अवकाश को छोड़कर अवकाश अवधि के लिए फेलोशिप या स्टाइपेंड नहीं दी जाएगी।

17. छुट्टी - (1) स्कॉलरों को प्रत्येक वर्ष दस दिनों तक आकस्मिक छुट्टी की अनुमति दी जाएगी और इस छुट्टी को अवकाश या रविवार के साथ जोड़ा जा सकता है और स्कॉलर छुट्टियों तथा अवकाश सहित एक समय में अधिकतम छह दिनों तक ऐसी छुट्टी का लाभ उठा सकते हैं तथा बीच के अवकाश को छुट्टियां माना जाएगा एवं आकस्मिक छुट्टी को मेडिकल छुट्टी के साथ नहीं जोड़ा जाएगा तथा इस छुट्टी को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।

(2) स्कॉलरों को एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर एक वर्ष में पंद्रह दिनों के चिकित्सा अवकाश की अनुमति दी जाएगी और यह छुट्टी आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।

(3) जहां भी पात्रता हों, मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 (1961 का 53) के अनुसार स्कॉलरों को मातृत्व या बाल देखभाल अवकाश दिया जाएगा, हालांकि, ज्वाइन करने के बाद, ऐसे स्कॉलरों को नियम 13 के उप-विनियम (1) में उल्लिखित अध्ययन अवधि पूरी करनी होगी और इसके अलावा, ऐसी छुट्टी अध्ययन की अवधि के दौरान एक बार पर्याप्त दस्तावेज़ प्रस्तुत करने पर दी जाएगी और इस छुट्टी के साथ किसी भी प्रकार की कोई छुट्टी जोडी नहीं जाएगी।

(4) निदेशक के पास असाधारण परिस्थितियों में तीस दिन तक की छुट्टी स्वीकृत करने की शक्ति है और असाधारण परिस्थितियों में स्वीकृत ऐसी छुट्टी के लिए कोई स्टाइपेंड नहीं दी जाएगी।

(5) खेल, सेमिनार में भाग लेने के लिए प्राधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त या अनुमति प्राप्त अनुसंधान स्कॉलरों को ड्यूटी या विशेष छुट्टी दी जाएगी और ऐसी छुट्टियां एक वर्ष में पंद्रह दिनों से अधिक नहीं होंगी।

(6) निदेशक द्वारा विशेष मामले में छुट्टी को अधिकतम पंद्रह दिन तक बढ़ाया जा सकता है।

(7) स्कॉलरों को पंजीकृत चिकित्सक द्वारा जारी वैध चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ चिकित्सा आधार के तहत किसी भी विशेष परिस्थिति में बिना स्टाइपेंड के अधिकतम साठ दिनों तक चिकित्सा अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी।

(8) डॉक्टरेट डिग्री के लिए निर्दिष्ट न्यूनतम कार्यकाल को पूरा करने के लिए अवधि की गणना नहीं की जाएगी।

(9) सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना या उप-विनियम (1) से (5) के अनुसार ऊपर उल्लिखित सीमा से अधिक स्टाइपेंडरी या नॉन-स्टाइपेंडरी स्कॉलरों द्वारा ली गई किसी भी अनुचित छुट्टी या अनुपस्थिति को जानबूझकर की गई अनुपस्थिति माना जाएगा और इस अवधि के लिए कोई स्टाइपेंड नहीं दीया जाएगा और ऐसा होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है जिसमें स्कॉलर को बर्खास्त किया जा सकता है और संस्थान द्वारा भुगतान किए गए स्टाइपेंड की वसूली शामिल है।

(10) स्कॉलरों को विभागीय अनुसंधान समिति के पूर्व अनुमोदन से, अनुमोदित सार संक्षेप के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित अनुसंधान केंद्रों में यह शोध कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है और संबंधित केंद्रों से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उसकी छुट्टी की अवधि को ड्यूटी पर माना जाएगा और ऐसी अवधि की कुल अवधि पूरे पीएचडी कार्यकाल के दौरान कुल नब्बे दिनों से अधिक नहीं होगी।

(11) विशिष्ट अनुसंधान कार्य पर विचार करके, अध्यक्ष, संस्थागत अनुसंधान समिति या निदेशक, विभागीय अनुसंधान समिति की सिफारिश पर अधिक दिनों की मंजूरी दे सकते हैं और ड्यूटी अवधि के दौरान यात्रा, भोजन और आवास के लिए कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा।

(12) उपरोक्त अवकाश नियम नॉन-स्टाइपेंडरी सीटों पर भर्ती किए गए स्कॉलरों पर भी लागू होंगे।

(13) छुट्टी को अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जाएगा और प्राधिकारी बिना किसी स्पष्टीकरण के छुट्टी रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

18. रेजीडेंसी - अनुसंधान स्कॉलरों को पंजीकरण के बाद निर्दिष्ट अनिवार्य कार्यकाल के दौरान डॉक्टरेट डिग्री कार्यक्रम के लिए अपना पूरा समय समर्पित करने की आवश्यकता होगी और इस कार्यकाल के दौरान, एक स्नातकोत्तर (आयुर्वेद) स्कॉलर को क्लिनिकल रजिस्ट्रार माना जाएगा।

19. अनुसंधान की प्रगति- (1) प्रत्येक स्कॉलर प्रत्येक छह महीने के अंत में गाइड या पर्यवेक्षक को निर्दिष्ट प्रपत्रों में समय-सारणी सहित अनुसंधान कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और गाइड या पर्यवेक्षक विभागीय अनुसंधान समिति के विचार के लिए टिप्पणियों के साथ प्रगति रिपोर्ट को आगे बढ़ाएगा तथा रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद, विभागीय अनुसंधान समिति, संस्थागत अनुसंधान समिति को उचित कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है।

(2) यदि विभागीय अनुसंधान समिति द्वारा समीक्षा की गई स्कॉलरों की प्रगति पर लगातार तीन असंतोषजनक रिपोर्ट (या विभागीय अनुसंधान समिति की बैठकों से अनुपस्थिति) प्राप्त होती हैं, तो संस्थागत अनुसंधान समिति विभागीय अनुसंधान समिति की सिफारिश पर स्कॉलर के पंजीकरण को रद्द करने की सिफारिश कर सकती है।

20. प्री-पीएचडी डिफेंस- (1) शोध प्रबंध प्रस्तुत करने से पहले, नियोजित अनुसंधान कार्य के पूरा होने पर, स्कॉलर को विभागीय अनुसंधान समिति की सिफारिशों पर, संस्थागत अनुसंधान समिति द्वारा आयोजित प्री-पीएचडी डिफेंस में शोध प्रबंध का सारांश प्रस्तुत करना होगा।

(2) स्कॉलर को अपने काम का मूल्यांकन करने और शोध प्रबंध के काम को अंतिम रूप देने के लिए अपने शोध कार्य में सुधार के लिए सुझाव प्राप्त करने हेतु संस्थान के सभी शिक्षकों और अन्य अनुसंधान कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करना होगा।

21. मूल्यांकन के लिए शोध प्रबंध प्रस्तुत करना- (1) शोध प्रबंध एक मौलिक कार्य होगा जो नए तथ्यों की खोज का संकेत देगा या नई तकनीकों या पहले से ज्ञात तथ्यों के नए अंतर-संबंधों या अवधारणाओं की नई व्याख्याओं को इंगित करेगा और सामग्री की अभिव्यक्ति पाठ्य और ग्राफिक प्रस्तुति दोनों में संतोषजनक होनी चाहिए।

(2) संबंधित गाइड या पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि शोध प्रबंध की साहित्यिक नकल की जांच की जाए और यह संस्थागत अनुसंधान समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए मानदंडों को पूरा करता है और किसी भी मामले में साहित्यिक नकल दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी और इस संबंध में शोध प्रबंध के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

(3) स्कॉलर को प्री-पीएचडी डिफेंस की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर शोध प्रबंध जमा करनी होगी और असाधारण परिस्थितियों में, यदि कोई स्कॉलर उपर्युक्त समय सीमा के भीतर शोध प्रबंध जमा नहीं कर पाता है, तो विभागीय अनुसंधान समिति, संस्थागत अनुसंधान समिति को उचित औचित्य के साथ अधिकतम एक सत्र (छह महीने) बढ़ाने की सिफारिश कर सकती है और यदि स्कॉलर उपरोक्त विस्तारित समय अवधि में भी शोध प्रबंध जमा करने में विफल रहता है, तो उसका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।

(4) यह वांछनीय है कि प्रत्येक स्कॉलर अपने वर्तमान शोध प्रबंध कार्य के आधार पर कम से कम एक शोध पत्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-शैक्षणिक अनुसंधान और नैतिकता संघ (यूजीसी-सीएआरई) में अनुक्रमित, समीक्षा वाली पत्रिका में प्रकाशित करें।

(5) ऐसे प्रकाशित शोध पत्रों की प्रतियां अंतिम शोध प्रबंध के साथ संलग्न की जाएंगी।

(6) शोध प्रबंध, अनुमोदित होने पर, संस्थान की संपत्ति बन जाएगा और स्कॉलर द्वारा किए गए शोध कार्य से संबंधित किसी भी प्रकाशन और बौद्धिक संपदा अधिकारों में लेखक के रूप में गाइड या पर्यवेक्षक के नाम का उल्लेख होना चाहिए और संबद्धता इस संस्थान को प्रदान की जाएगी और यदि किसी भी मामले में इसे लागू नहीं किया जाता है, तो संस्थान कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकता है।

(7) शोध स्कॉलरों को शोध प्रबंध के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे, जो भी लागू हो, अर्थात्: -

(क) साहित्यिक नकल संबंधी प्रमाणपत्र;

(ख) क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री-इंडिया कंप्लीशन सर्टिफिकेट;

(ग) संस्थागत आचार समिति और या संस्थागत पशु आचार समिति प्रमाणपत्र या दोनों; और

(घ) आधार कार्ड या पासपोर्ट की प्रति।

(8) इससे पहले कि कोई स्कॉलर पीएच.डी. के लिए शोध प्रबंध जमा करे, उसे गाइड या पर्यवेक्षक और विभागाध्यक्ष से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें कहा गया हो कि-

(क) उन्होंने पूर्ण निर्धारित पीएच.डी. कार्यकाल के लिए शोध कार्य पूरा कर लिया है और शोध प्रबंध में पीएच.डी. स्कॉलर के रूप में काम करने की अवधि के दौरान की गई जांच के परिणाम शामिल हैं;

(ख) शोध प्रबंध को स्कॉलर द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा के साथ जोड़ा गया है कि "शोध प्रबंध मौलिक और स्वतंत्र कार्य है";

(ग) कि अन्य स्रोतों से प्राप्त सामग्री को विधिवत मान्यता दी गई है;

(घ) शोध प्रबंध गाइड और सह-गाइड द्वारा प्रमाणित है;

(ड.) स्कोलर ने आवश्यक रेसीडेंसी, पाठ्यक्रम कार्य पूरा कर लिया है और कोई देय नहीं है ऐसा प्रमाणपत्र जमा किया है;

(9) पीएचडी कार्यक्रम पूरा करने पर, शोधार्थी को निम्नलिखित दस्तावेज उचित माध्यम से डीन (शैक्षणिक) को प्रस्तुत करने होंगे, अर्थात्: -

(क) संस्कृत, हिंदी या अंग्रेजी में मुद्रित शोध प्रबंध की चार प्रतियां;

(ख) निर्दिष्ट परीक्षा और अन्य शुल्क की रसीदें; और

(ग) कार्य के मुख्य बिंदुओं को बताते हुए हजार शब्दों में किए गए शोध कार्य का सार।

(10) डीन (शैक्षणिक) उल्लिखित दस्तावेजों को परीक्षा नियंत्रक को अग्रेषित करेगा।

(11) स्कॉलर अपना शोध प्रबंध कार्य जिसे विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालय या संस्थान में किसी डिग्री या किसी अन्य विशिष्टता के लिए स्वीकार या अस्वीकृत कर दिया गया हो, प्रस्तुत नहीं करेगा लेकिन स्कॉलर अपने शोध प्रबंध में किसी भी कार्य की सामग्री को शामिल कर सकता है जो उसने इस विषय पर पहले किया हो। बशर्ते कि ऐसे मामलों में स्कॉलर अपने आवेदन में और अपने शोध प्रबंध के परिचय में उसके द्वारा पहले किए गए कार्य का उल्लेख करेगा।

(12) मुद्रित शोध प्रबंध निम्नलिखित विशिष्टताओं के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा, अर्थात्: -

(क) मुद्रण के लिए उपयोग किया जाने वाला कागज ए4 आकार का होगा;

(ख) मुद्रण कागज के दोनों तरफ और 1.5 अंतर पर मानकीकृत किया जाएगा;

(ग) दोनों तरफ 1.25 इंच का मार्जिन होगा;

(घ) अंग्रेजी के लिए टाइम्स न्यू रोमन फ़ॉन्ट का आकार बारह और देवनागरी स्क्रिप्ट के लिए आकार चौदह के किसी भी यूनिकोड फ़ॉन्ट का उपयोग करना होगा;

(ङ) शोध प्रबंध के कवर पेज पर; शोध प्रबंध का शीर्षक, संस्थान का नाम, डिग्री, इसकी विशेषज्ञता और विभाग, स्कॉलर का पूरा नाम, गाइड और सह-गाइड (यदि कोई हो) का नाम, जमा करने का महीना तथा वर्ष और पंजीकरण संख्या प्रदर्शित करनी होगी।

(13) स्कॉलर को शुरू में परीक्षकों के मूल्यांकन के लिए शोध प्रबंध की चार अस्थायी जिल्द वाली प्रतियां जमा करनी होंगी और एक बार शोध प्रबंध को सभी परीक्षकों द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है, तो स्कॉलर को अनुमोदन के बारे में सूचित किया जाएगा तथा परीक्षक, विभागीय अनुसंधान समिति और अनुसंधान डिग्री समिति द्वारा उसे दिए गए सुझावों (यदि कोई हो तो) को शामिल करने के लिए (पीएचडी ओपन डिफेंस और वाइवा वॉयस के समय) कहा जाएगा। अंतिम शोध प्रबंध में दो हार्ड बाउंड प्रतियां और सॉफ्ट कॉपी प्रारूप संस्थान को जमा करना होगा एवं साथ ही अध्यक्ष, विभागीय अनुसंधान समिति द्वारा अग्रेषित गाइड या पर्यवेक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित घोषणा के साथ भेजें कि परीक्षकों के सुझावों को शोध प्रबंध में विधिवत शामिल किया गया है।

22. परीक्षा- (1) संबंधित या संबध्द विषयों में पीएच.डी. डिग्री वाला शिक्षक या अनुसंधानकर्ता जिसे पांच वर्ष का स्नातकोत्तर शिक्षण अनुभव या दस वर्ष का स्नातकोत्तर और स्नातक संयुक्त शिक्षण अनुभव अथवा संबंधित विषय या क्षेत्र या दायरे में दस वर्ष का शोध अनुभव होने पर पीएचडी परीक्षा, शोध प्रबंध और मौखिक परीक्षा के लिए परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

(2) शोध प्रबंध के निर्णय के लिए संस्थान द्वारा चार निर्णायक नियुक्त किए जाएंगे और शोध प्रबंध जमा करने के समय, संबंधित विभागीय अनुसंधान समिति आम तौर पर छह परीक्षकों के एक पैनल की सिफारिश करेगी जिसमें प्रत्येक परीक्षक का संक्षिप्त बायोडाटा, उनके अनुसंधान के क्षेत्र और विशेषज्ञता सहित परीक्षा नियंत्रक को प्रस्तुत करेगी और विभागीय अनुसंधान समिति द्वारा प्रस्तुत पैनल से निदेशक तीन परीक्षकों की नियुक्ति करेगा और अनुसंधान स्कॉलर के गाइड या पर्यवेक्षक आंतरिक परीक्षक होंगे।

(3) आमतौर पर संस्थान द्वारा पेश की गई नियुक्ति, परीक्षकों को दस दिनों के भीतर स्वीकार करनी होगी।

(4) परीक्षकों को शोध प्रबंध की प्राप्ति के एक महीने की अवधि के भीतर अपनी व्यक्तिगत रिपोर्ट जमा करनी होगी और विशेष मामलों में परीक्षकों के अनुरोध पर रिपोर्ट जमा करने का समय संस्थान द्वारा अधिकतम एक महीने तक बढ़ाया जा सकता है और यदि संबंधित परीक्षक विस्तारित अवधि में रिपोर्ट जमा करने में विफल रहता है, तो शोध प्रबंध का मूल्यांकन करने के लिए पैनल से एक अन्य परीक्षक को नियुक्त किया जाएगा।

(5) रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय, परीक्षक यह बताएगा कि क्या शोध प्रबंध डिग्री प्रदान करने के लिए निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करता है, अर्थात्: -

(i) यह अनुसंधान कार्य का एक खंड होगा, जो या तो नए तथ्यों की खोज या तथ्यों और सिद्धांतों की व्याख्या के प्रति नए दृष्टिकोण की विशेषता होगी;

(ii) यह आलोचनात्मक परीक्षण और निर्णय के लिए स्कॉलर की क्षमता का सबूत देगा; और

(iii) जहां तक इसकी साहित्यिक प्रस्तुति का संबंध है, यह भी संतोषजनक होगा।

(6) परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का मूल्यांकन करने के बाद, वे सिफारिश कर सकते हैं कि शोध प्रबंध को पीएचडी डिग्री अवार्ड के लिए स्वीकार किया जाए या डिग्री या शोध प्रबंध को संशोधित रूप में प्रस्तुत किया जाए अथवा शोध प्रबंध को खारिज कर दिया जाए।

(7) परीक्षक अपनी विस्तृत मूल्यांकन टिप्पणियाँ देंगे और परीक्षक की अंतिम अनुशंसा उसकी मूल्यांकन टिप्पणियों के तर्ज पर और अनुरूप होगी।

(8) शोध स्कॉलर की पीएच.डी. ओपन डिफेंस परीक्षा की अनुशंसा करते समय, परीक्षक प्रश्नों की प्रकृति और पीएच.डी. ओपन डिफेंस में स्पष्ट किए जाने वाले मुद्दों का संकेत दे सकता है।

(9) रिपोर्ट विशिष्ट होगी और उस आधार को बताएगी जिस पर सिफारिश आधारित है और यदि दो परीक्षक पीएच.डी. डिग्री अवार्ड करने की सिफारिश करते हैं और अन्य दो परीक्षक असहमत हैं, तो सिफारिशों और शोध प्रबंध के साथ परीक्षकों की रिपोर्ट को उन परीक्षकों के नाम का उल्लेख किए बिना पांचवें परीक्षक को भेजा जाएगा जो ऊपर निर्दिष्ट तरीकों से सिफारिश कर सकते हैं; और उनकी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया जाएगा अर्थात यदि वह शोध प्रबंध को अस्वीकार करता है तो शोध प्रबंध को रद्द कर दिया जाएगा।

(10) दो या दो से अधिक परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध को मंजूरी न देने पर शोध प्रबंध को अस्वीकार कर दिया जाएगा और ऐसी परिस्थितियों में कोई मौखिक परीक्षा नहीं ली जाएगी और स्कॉलर को अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा।

(11) यदि शोध प्रबंध सभी परीक्षकों द्वारा अनुमोदित है और पीएच.डी ओपन डिफेंस आयोजित किया जाता है तो ऐसी परिस्थितियों में, रिपोर्ट पीएच.डी. डिफेंस से कम से कम पंद्रह दिन पहले परीक्षकों के नाम का उल्लेख किए बिना अनुसंधान स्कॉलर, शोध गाइड और विभागीय अनुसंधान समिति के अध्यक्ष को उपलब्ध कराई जाएगी।

23. पीएच.डी. ओपन डिफेंस और मौखिक परीक्षा:- (1) परीक्षा नियंत्रक से डीन (शैक्षणिक) कार्यालय के माध्यम से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, विभागीय अनुसंधान समिति रिपोर्ट पर चर्चा करेगी और परीक्षकों के सुझावों के बारे में स्कॉलर को सूचित करेगी।

(2) स्कॉलर परीक्षकों द्वारा सुझाए गए पुनरीक्षण या संशोधन के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और ऐसे सभी प्रश्नों का उत्तर प्रस्तुत करेगा जो परीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्ट में उठाए गए हैं।

(3) विभागीय अनुसंधान समिति प्रस्तुत मामले का मूल्यांकन करेगी और संतोषजनक पाए जाने पर मौखिक परीक्षा की अनुशंसा करेगी।

(4) सभी परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध के अनुमोदन पर, विभागीय अनुसंधान समिति पीएच.डी. डिफेंस और मौखिक परीक्षा के लिए अनुशंसा करेगी और अनुसंधान डिग्री समिति द्वारा संचालित पीएच.डी. ओपन डिफेंस और मौखिक परीक्षा संस्थान में आयोजित की जाएगी।

(5) पीएच.डी. ओपन डिफेंस और मौखिक परीक्षा के लिए तारीख, समय और स्थान को परीक्षा नियंत्रक द्वारा आंतरिक परीक्षक के परामर्श से कम से कम पंद्रह दिन पहले सूचित किया जाएगा।

(6) यदि कोई भी बाहरी परीक्षक पीएच.डी. ओपन डिफेंस और मौखिक परीक्षा के समय उपस्थित नहीं हो पाता है, तो विभागीय अनुसंधान समिति की अनुशंसा पर निदेशक पीएचडी के लिए परीक्षक के रूप में कार्य करने हेतु उस विषय में एक वरिष्ठ अनुसंधान गाइड नियुक्त करेगा और यदि आंतरिक परीक्षक उपलब्ध नहीं है, तो निदेशक संबंधित विषय में वरिष्ठ अनुसंधान गाइड में से एक को आंतरिक परीक्षक के रूप में नियुक्त करेगा।

(7) समग्र परिणाम आधिकारिक तौर पर पीएचडी ओपन डिफेंस और मौखिक परीक्षा की तारीख से सात कार्य दिवसों की अवधि के भीतर परीक्षा नियंत्रक द्वारा घोषित किया जाएगा और घोषणा के बाद संस्थान की परीक्षा शाखा द्वारा परिणाम का अनंतिम डिग्री प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

(8) यदि पीएच.डी. ओपन डिफेंस और मौखिक परीक्षा संतोषजनक नहीं है तो अनुसंधान डिग्री समिति नए सिरे से पीएचडी ओपन डिफेंस और मौखिक परीक्षा की सिफारिश कर सकती है। इसे छह महीने के बाद आयोजित किया जाएगा और ऐसे नए पीएच.डी. ओपन डिफेंस और मौखिक परीक्षा के लिए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया नया शुल्क लिया जाएगा और स्कॉलरों को पीएचडी ओपन डिफेंस और और मौखिक परीक्षा में पुन: शामिल होने के लिए अधिकतम एक ही मौका दिया जाएगा।

24. **पीएच.डी. ओपन डिफेंस और मौखिक परीक्षा का संचालन-** (1) यदि विनियमन 22 के उप-विनियम (11) के अनुसार सभी परीक्षकों की सिफारिश है, तो अनुसंधान डिग्री समिति द्वारा पीएचडी ओपन डिफेंस और मौखिक परीक्षा आयोजित की जाएगी।

(2) यदि कोई परीक्षक अनुशंसा करता है, तो टिप्पणियों को शामिल करने के बाद शोध प्रबंध की, उसी परीक्षक द्वारा जांच की जाएगी और इस परीक्षक द्वारा अंतिम अनुशंसा के बाद, पीएच.डी. ओपन डिफेंस और मौखिक मौखिक परीक्षा आयोजित की जा सकती है।

(3) परीक्षकों के बीच मतभेद की स्थिति में बहुमत के विचार मान्य होंगे।

(4) यदि परीक्षक शोध प्रबंध में बड़े संशोधन की सिफारिश करता है, तो अनुसंधान स्कॉलर को परीक्षक की सिफारिशों के अनुसार संशोधित शोध प्रबंध प्रस्तुत करने के लिए संस्थान के निर्णय से छह महीने का समय दिया जाएगा और संशोधित शोध प्रबंध का परीक्षक द्वारा पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा और यदि परीक्षक शोध प्रबंध का मूल्यांकन करने में असमर्थ है तो निदेशक विभागीय अनुसंधान समिति के परामर्श से मौजूदा परीक्षक पैनल में से एक अन्य परीक्षक की नियुक्ति करेगा।

(5) यदि दो या दो से अधिक परीक्षक शोध प्रबंध के प्रमुख संशोधन और पुनर्लेखन की सिफारिश करते हैं, तो संस्थान के निर्णय से एक कैलेंडर वर्ष की अवधि के भीतर शोध प्रबंध को संशोधित, पुनर्लिखित स्वरूप में पुनः प्रस्तुत किया जाने के संबंध में स्कॉलर को सूचित किया जाएगा और ऐसे मामले में पुन: प्रस्तुत करने के लिए अवधि शुल्क और परीक्षा शुल्क का भुगतान स्कॉलर द्वारा किया जाएगा और यदि एक वर्ष से अधिक समय की आवश्यकता है, लेकिन प्रारंभिक पंजीकरण से पूरा होने तक कुल समय छह वर्ष से कम है, तो स्कॉलर के लिए उस अवधि को बढ़ा दिया जाएगा।

(6) यदि कुल आवश्यक समय या लिया गया कुल समय प्रारंभिक पंजीकरण की तारीख से छह वर्ष से अधिक है, तो स्कॉलरों को दो वर्ष की आगे की अवधि के लिए पीएचडी के लिए पुन: पंजीकरण कराना होगा।

(7) संस्थान के बाहर से कम से कम एक परीक्षक पीएचडी ओपन डिफेंस और मौखिक परीक्षा में उपस्थित रहेगा।

(8) अपनी रिपोर्ट में परीक्षकों द्वारा उठाए गए बिंदुओं का संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त करने के अलावा, अनुसंधान डिग्री समिति स्वयं को संतुष्ट करेगी कि उसके अध्ययन के व्यापक क्षेत्र में स्कॉलर का ज्ञान संतोषजनक है।

(9) अनुसंधान डिग्री समिति के प्रतिवेदन पर विचार करते हुए, अध्यक्ष अंततः यह निर्णय लेंगे कि, -

(क) डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएचडी) की डिग्री प्रदान की जाए; या

(ख) स्कॉलर की आगामी तिथियों में पुनर्परीक्षा की जानी आवश्यक है; या

(ग) डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएचडी) की डिग्री प्रदान नहीं की जा सकती है।

25. डिग्री प्रदान करना- (1) डिग्री के अनुमोदन के लिए अनुसंधान डिग्री समिति की अनुशंसा को संस्थान के इंस्टीट्यूट निकाय के समक्ष रखा जाएगा।

(2) स्कॉलर जिसने डॉक्टरेट डिग्री कार्यक्रम पूरा कर लिया है और पीएचडी ओपन डिफेंस और मौखिक परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं, को निम्नानुसार डिग्री प्रदान की जाएगी-

(क) डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी-पीएचडी (आयुर्वेद) (आयुर्विद्यावारिधि);

(ख) डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी-पीएचडी (आयुर्वेद फार्मेसी);

(ग) डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी-पीएचडी (मेडिसिनल प्लांटस);

(घ) डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी-पीएचडी (संबद्धित अन्य विज्ञान);

(ङ) डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी-पीएचडी (ट्रांसडिसिप्लिनरी)

डिग्री, आवश्यक शुल्क के भुगतान पर, संस्थान के आगामी दीक्षांत समारोह में या तो व्यक्तिगत रूप से या अनुपस्थिति में उसके द्वारा प्रदत्त विकल्प को दी जाएगी।

26. शुल्क- संस्थान के शासी निकाय द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई फीस अनुसंधान स्कॉलरों से ली जाएगी जो उन पर लागू हो सकती है।

27. स्टाइपेंडरी सीटों के लिए बांड- (1) प्रत्येक चयनित अनुसंधान स्कॉलर को अनुलग्नक-घ के अनुसार निर्दिष्ट प्रपत्र में डॉक्टरेट डिग्री कार्यक्रम में शामिल होने से पहले संस्थान के साथ बांड निष्पादित करना होगा।

(2) यदि स्कॉलर डॉक्टरेट डिग्री कार्यक्रम को बीच में छोड़ देता है, तो स्कॉलर को संस्थान से मुक्त होने के लिए मुआवजे के रूप में संस्थान को अग्रिम भुगतान किए गए स्टाइपेंड के साथ-साथ अग्रिम रूप से प्राप्त अनुसंधान बजट के साथ तीन लाख रुपये का भुगतान करना होगा।

28. संयुक्त या दोहरी डॉक्टरेट डिग्री कार्यक्रम- (1) संस्थान प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों या संगठनों या संस्थानों के सहयोग से संयुक्त वार्षिक डॉक्टरेट डिग्री कार्यक्रम चलाएगा।

(2) स्कॉलरों को दोनों सहयोगी संस्थानों में अलग-अलग पंजीकरण कराना होगा।

(3) स्कॉलर को अपने पीएचडी विनियमन के अनुसार संबंधित संस्थान द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम कार्यकाल बिताना होगा।

(4) स्कॉलरों को संबंधित संस्थान के अपने कार्यकाल के दौरान संबंधित संस्थान के पीएचडी विनियमन का पालन करना होगा।

(5) संयुक्त या दोहरी डॉक्टरेट डिग्री कार्यक्रम के लिए विस्तृत मोड्यालिटी, समझौता ज्ञापन के समय सहयोगी संस्थानों द्वारा पारस्परिक रूप से तैयार किए जाएंगे।

29. विविध- (1) पूर्णकालिक डॉक्टरेट डिग्री कार्यक्रम में भाग लेने वाले शोधार्थियों को कोई भी वैतनिक या अवैतनिक नियुक्ति या सेवा या स्वयं-रोज़गार पर काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और किसी भी नई नौकरी या नियुक्ति के लिए आवेदन जमा करते समय स्कॉलर को संस्थान से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया जाएगा और चूककर्ता अनुशासनात्मक कार्रवाई जैसे कि स्टाइपेंड, लाभ ले चुके शोध बजट की वसूली और प्रवेश समाप्ति के लिए उत्तरदायी होंगे।

(2) यदि स्कॉलर को डॉक्टरेट डिग्री कार्यक्रम के कार्यकाल के दौरान किसी सरकारी निकाय में स्थायी नियुक्ति के लिए चुना जाता है, तो स्कॉलर सेवाओं में शामिल हो सकता है और संस्थान में पंजीकरण की तारीख से छह वर्ष की अवधि के भीतर नियोक्ता से उचित अनुमति प्राप्त करने के बाद डॉक्टरेट डिग्री कार्यक्रम पूरा कर सकता है।

30. संस्थान के निदेशक के पास इन विनियमों के प्रावधानों की व्याख्या में किसी भी विसंगति के लिए अंतिम अधिकार है, और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, संस्थान के शासी निकाय के अनुमोदन या अनुसमर्थन के साथ इन विनियमों के किसी भी प्रावधान में छूट दे सकते हैं।

डॉ. अनूप ठाकर, निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./809/2023-24]

अनुलग्नक- क

[नियम 8 का उप-नियम (8) देखें]

आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान

डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन पत्र- शैक्षणिक वर्ष……..

<table>
<tr><td rowspan="2"></td><td>डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कार्यक्रम के लिए आवेदन किया गया</td><td colspan="3">पीएच.डी. (आयुर्वेद)/ पीएचडी (आयुर्वेद फार्मेसी)/ पीएच.डी. (मेडिसिनल प्लांट)</td><td rowspan="4">अपना हालिया पासपोर्ट आकार का स्वप्रमाणित फोटो चिपकाएँ</td></tr>
<tr><td>विशेषज्ञता</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>1.</td><td>उपनाम</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>नाम</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>पिता या पति का नाम</td><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>लिंग</td><td>5.</td><td>वैवाहिक स्थिति</td><td></td></tr>
<tr><td>6.</td><td>जन्म की तारीख</td><td>7.</td><td>राष्ट्रीयता</td><td></td></tr>
<tr><td>8.</td><td>श्रेणी</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>9.</td><td>फोन नंबर</td><td>10.</td><td>मोबाईल</td><td></td></tr>
<tr><td>11.</td><td>ई-मेल</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

12.	स्थायी पता (पिन के साथ)			
13.	पत्राचार का पता (पिन के साथ)			
14.	ग्रेजुएशन कोर्स का नाम			
	प्राप्तांक/अधिकतम अंक		स्नातक पाठ्यक्रम का प्रतिशत	
	स्नातक पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय			
	स्नातक पाठ्यक्रम अवधि		स्नातक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण वर्ष	
15.	मास्टर या स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम का नाम			
	मास्टर या स्नातकोत्तर डिग्री विश्वविद्यालय			
	मास्टर या स्नातकोत्तर डिग्री की अवधि		मास्टर/पी.जी.डिग्री उत्तीर्ण वर्ष	
	मास्टर या स्नातकोत्तर विशेषज्ञता			
	शोध प्रबंध/थीसिस का शीर्षक			
16.	आंतरिक सेवाकालीन अभ्यर्थियों का विवरण			
	संस्थान का नाम			
	पद का नाम:			
	नियुक्ति की प्रकृति		विशेषज्ञता/विभाग	
	कुल अनुभव		कर्मचारी कोड	
17.	भुगतान विवरण - बैंक			
	भुगतान संदर्भ संख्या और दिनांक			

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

अनुलग्नक-ख

[नियम-14 का उप-नियम (1) देखें]

आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान

पीएचडी (आयुर्वेद) शुल्क		
क्र.सं.	**मद का नाम**	**वर्ष 2021-22 (शुल्क रुपये में)**
1.	पंजीकरण शुल्क	500/-
2.	पुस्तकालय कॉशन मनी	2500/- (आयु. अंशदान)
3.	प्रति सत्र अनुसंधान शुल्क (शैक्षणिक शुल्क)	15000/- (प्रत्येक सत्र में अर्धवार्षिक भुगतान किया जाएगा)
4.	प्रति सत्र प्रयोगशाला शुल्क	शून्य
5.*	नामांकन शुल्क (यदि उम्मीदवार किसी अन्य विश्वविद्यालय से स्नातक है और उसने इस विश्वविद्यालय में नामांकन नहीं किया है तो भुगतान किया जाएगा)	500/-
6.	प्रवेश शुल्क	1000/-
7.	छात्रावास जमा	2500/- (छात्रावास कॉशन मनी)
8.	छात्रावास विद्युत शुल्क प्रति माह	शून्य
9.	छात्रावास रखरखाव शुल्क प्रति माह	1500/- (प्रति माह)
10.*	परीक्षा शुल्क (शोध प्रबंध जमा करने के समय देय)	6000/-

11.	प्रति वर्ष छात्र संघ शुल्क (रू. 300 x 2) (दो वर्ष)	600/-
12.	खेल बोर्ड शुल्क (रु. 100 प्रति सत्र x 4)	400/-

*15 मार्च 2023 को आयोजित चौथे एसएफसी के अनुसार

अनुलग्नक-ग

आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान

[वनियम-15 का उप-नियम (1) देखें]

<u>आवेदन पत्र पीएच.डी. गाइड/पर्यवेक्षक के लिए आवेदन पत्र</u>

1. फैकल्टी का पूरा नाम (उपनाम से प्रारंभ)

_____

2. जन्मतिथि:_____

3. पदनाम:_____

4. विभाग या विशेषज्ञता:_____

5. संस्थान का नाम और पता जहां आवेदक कार्यरत है:

_____

_____

_____

6. पत्राचार का पता:

_____

_____

_____

7. शैक्षणिक योग्यता:

	डिग्री	विश्वविद्यालय	वर्ष	विषय या विशेषज्ञता
स्नातक डिग्री				
स्नातकोत्तर डिग्री				
डॉक्टोरल डिग्री				
पोस्ट-डॉक्टोरल डिग्री यदि कोई हो				

8. शिक्षण/अनुसंधान अनुभव:

शिक्षण अनुभव	पद या पदनाम	संस्थान का नाम	से	तक	कुल वर्षो की संख्या
स्नातक					
स्नातकोत्तर					
अनुसंधान					

9. पिछले पांच वर्षों के शोध प्रकाशन:

वर्ष	आईएसबीएन या आईएसएसएन संख्या के साथ समतुल्य-समीक्षित पत्रिकाओं में प्रकाशनों की संख्या।	अनुक्रमित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-सीएआरई द्वारा सूचीबद्ध पत्रिकाओं में प्रकाशनों की संख्या	प्रकाशनों की कुल संख्या

10. अन्य प्रकाशन:

प्रकाशन की प्रकृति	प्रकाशनों की संख्या	प्रकाशन का वर्ष	प्रकाशक (स्थानीय या राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय)
पुस्तकें			
मोनोग्राफ			
पुस्तकों में अध्याय			

11. क) वह स्थान जहां आवेदक अनुसंधान को गाइड करने का प्रस्ताव रखता है

_____

ख) क्या कॉलेज या संस्थान जहां अनुसंधान कार्य किया जाना है, संस्थान द्वारा संबंधित विशेषज्ञता में अनुसंधान केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है अथवा क्या यह आईटीआरए का एमओयू संस्थान है_____

_____

आवेदक के हस्ताक्षर

विभाग की मुहर एवं हस्ताक्षर _____

संस्थान के प्रमुख की मुहर एवं हस्ताक्षर

जहा अनुसंधान कार्य किया जाना है _____

संस्थान के प्रमुख की मुहर एवं हस्ताक्षर _____

जहां आवेदक कार्यरत है (केवल उस मामले में जहां अनुसंधान कार्य किया जाना है वह, उस संस्थान से भिन्न है जहां आवेदक कार्यरत है)

_____

संलग्नक 1) स्नातकोत्तर डिग्री या डॉक्टरेट डिग्री या अधिसूचना की प्रमाणित प्रति।

2) अनुभव प्रमाण पत्र

3) प्रकाशित शोध पत्रों का प्रथम पृष्ठ

4) पुस्तक या मोनोग्राफ या सूची का पहला पृष्ठ और पुस्तक का पहला पृष्ठ (जिसमें अध्याय प्रकाशित हुआ) और अध्याय का प्रारंभिक पृष्ठ।

शुल्क के भुगतान का विवरण रु. 1000/- रसीद संख्या _____दिनांक:_____

केवल कार्यालय के उपयोग के लिए

अनुशंसा (क) अनुशंसित (ख) अनुशंसित नहीं

टिप्पणी यदि कोई हो _____

जांच समिति के हस्ताक्षर:

1)

2)

3)

संलग्नक-घ

[विनियम 27 का उप-विनियम (1) देखें]

डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी पीएचडी आयुर्वेद (विशेषज्ञता) के छात्र द्वारा
निष्पादित किए जाने वाला बंधपत्र

..... द्वारा प्राप्त की जाने वाली मासिक अध्येतावृत्ति के लिए आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान की अध्येतावृत्ति।

यह बंध-पत्र जामनगर में ..... के ..... दिन यहां आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के पीएचडी आयुर्वेद..... के छात्र.....जिसे इसमें आगे प्रथम पक्ष का छात्र कहा गया है और श्री..... वयस्क, के पुत्र/पुत्री ....., निवासी.....(प्रथम प्रतिभू) जिसे इसमें आगे सामूहिक रूप से द्वितीय पक्ष के प्रतिभूओं कहा गया है द्वारा आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जामनगर के पक्ष में किया गया है।

जबकि इस संस्थान में आयुर्वेद में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी में प्रवेश होने पर छात्र को पाठ्यक्रम के पहले वर्ष के दौरान प्रति माह ₹.....की अध्येतावृत्ति और दूसरे और तीसरे वर्ष के दौरान ₹.....की अध्येतावृत्ति मिलेगी, और जबकि आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान इसे शर्तों, यहां इसके बाद छात्र द्वारा उचित निष्पादन हेतु प्रतिभूति, पर प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है।

अब यह बंधपत्र निम्नलिखित का साक्षी है:-

1. उक्त करार के अनुसरण में और आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान द्वारा शोध अध्येता को उपरोक्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के दौरान अध्येतावृत्ति देने पर विचार करते हुए, छात्र एतद्वारा आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के साथ वचनबद्ध है कि वह आयुर्वेद में पीएचडी पाठ्यक्रम में अपने शोध कार्य को जारी रखेगा/रखेगी और नियमों के तहत यथा अपेक्षित सभी परीक्षाओं में उपस्थित होने के बाद पाठ्यक्रम पूरा करेगा/करेगी।

2. उक्त पाठ्यक्रम के शुरू होने और इसके पूर्ण कार्यकाल (सफलतापूर्वक) के बाद, मैं एतद्वारा सहमत हूं और इसका पालन करता हूं/करती हूं कि मैं संस्थान या आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान द्वारा आदेशित और निर्देशित किसी अन्य संस्थान की, पाठ्क्रम के कार्यकाल की अवधि के लिए सेवा करूंगा/करूंगी और यदि मैं संस्थान की सेवा करने में चूक करने पर इस शर्त का उल्लंघन करता हूं/करती हूं तो मैं एतद्वारा सहमत हूं और वचन देता हूं/देती हूं कि मेरी ओर से चूक होने पर, कार्यकाल के लिए मेरे द्वारा आहरित की गई उक्त पीएचडी पाठ्यक्रम की कुल परिलब्धियों को मैं वापस करने के लिए उत्तरदायी होऊंगा/होऊंगी और मैं संस्थान द्वारा मेरे लिए किए गए सभी खर्चों का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होऊंगा/होऊंगी।

3. उक्त करार के अनुसरण में, उक्त छात्र संस्था में रहते हुए, किसी कार्य, चूक, लापरवाही, या निर्णय में त्रुटि के कारण संस्था को नुकसान या क्षति पहुंचाए बिना, अपने सभी कर्तव्यों का विधिवत और ईमानदारी से निष्पादन, प्रदर्शन और निर्वहन करेगा।

4. अपने उक्त पाठ्यक्रम की अवधि के पूरा करने की तारीख से 10 दिनों की अवधि के भीतर वह पंजीकृत डाक द्वारा विश्वविद्यालय को अपने उक्त पाठ्यक्रम की अवधि को पूरा करने की लिखित सूचना देगा/देगी।

5. उक्त करार के अनुसरण में और पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए, छात्र और प्रतिभू एतद्वारा सहमत हैं कि यदि छात्र इस संबंध में वचन के अनुसार पाठ्यक्रम पूरा करने में विफल रहता है या उपरोक्त खंड (1) में निहित या किसी भी कारण से अपने शोध कार्य को बंद कर देता है, तो छात्र और प्रतिभू संयुक्त रूप से और अलग से, आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान द्वारा भुगतान की गई और उक्त छात्र द्वारा प्राप्त की गई अध्येतावृत्ति की कुल राशि आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

छात्र और प्रतिभू इस बात से सहमत हैं कि यदि छात्र, प्रवेश के 2 (दो) महीने के भीतर बिना किसी पर्याप्त कारण से या प्रवेश के 2 महीने बाद किसी भी कारण से संस्थान छोड़ देता है, तो उसे आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान को अपने मूल प्रमाण-पत्र/अंक पत्र वापस पाने के लिए अग्रिम रूप से 3,00,000/- रुपये (तीन लाख रुपए रुपये) का भुगतान करना होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप इस बंधपत्र पर उपर्युक्त प्रतिभूओं द्वारा उपर्युक्त दिन, माह और वर्ष को हस्ताक्षर-

छात्र द्वारा हस्ताक्षरित: _____

पता:

1. गवाह:

2. गवाह:

प्रथम प्रतिभू द्वारा हस्ताक्षरित: तिथि:

पता:

1. गवाह:

2. गवाह:

द्वितीय प्रतिभू द्वारा हस्ताक्षरित: तिथि:

पता:

1. गवाह:

2. गवाह:

मेरे समक्ष_____ किए गए हैं।
न्यायिक मजिस्ट्रेट की रबर की मुहर

INSTITUTE OF TEACHING AND RESEARCH IN AYURVEDA

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2024

F. No. L-12015/25/2021-AS (I).—In exercise of the powers conferred by clause (k), sub-section (1) of section 28 and clause (f) of section 13 of the Institute of Teaching and Research in Ayurveda Act, 2020 (16 of 2020), the Institute of Teaching and Research in Ayurveda, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These regulations may be called the Institute of Teaching and Research in Ayurveda, Doctor of Philosophy Regulations 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.-** (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Institute of Teaching and Research in Ayurveda Act, 2020 (16of 2020);

(b) "allied subjects" means the subjects related to health science in general and Ayurveda in particular shall be considered as allied subject;

(c) "applicant" means an individual who applies for admission to the Doctoral degree programme of the Institute in a prescribed application form;

(d) "Co-Guide" or "Co-Supervisor" means an additional Guide or Supervisor, wherever needed, as approved by the Departmental Research Committee to guide or supervise the research work of the scholar and the Co-guide or Co- Supervisor may or may not be a fulltime faculty of the Institute;

(e) "Controller of Examinations" means Controller of Examinations appointed bythe competent authority of the Institute;

(f) "Co-Principal Investigator" means an additional investigator, wherever needed, as approved by the Institutional Research Committee to help the Principal Investigator for research project and he may or may not be a fulltime faculty of the Institute;

(g) "course work" means courses of study specified by the Department throughthe Departmental Research Committee to be undertaken by a scholar registered for the Doctoral degree programme;

(h) "Doctoral Degree" means the Degree awarded by the Institute in accordancewith the provisions of these regulations in the following disciplines, namely:-

(i) Doctor of Philosophy- Ph.D. (Ayurveda) (Ayurvidyavaridhi); or

(ii) Doctor of Philosophy- Ph.D. (Ayurveda Pharmacy); or

(iii) Doctor of Philosophy- Ph.D. (Medicinal Plants); or

(iv) Doctor of Philosophy- Ph.D. (Allied Science) ; or

(v) Doctor of Philosophy- Ph.D. (Trans disciplinary).

(i) "Guide" or "Supervisor" means a full time regular faculty of the Institute who has been approved by the Academic Council to guide or supervise the Doctoral degree research work of the research scholar;

(j) "Institutional Ethics Committee" means as per constitution given by Indian Council of Medical Research for a period of three years, comprising Chairperson (from outside Institute), Member Secretary (Ayurvedic Physician), Philosopher/Ethicist, Medical expert, Basic Medical Scientist (Pharmacologist), Clinician from outside of the Institute, Medical expert-Ayurvedic Science, Lay persons from the community- Female & Male, Social Scientist and Legal Advisor;

(k) "Institutional Animal Ethics Committee" means committee for control and supervision of experiments on animals for a period of five years, comprising Biological Scientist, Scientist in-charge of Animal House facility, Two scientists from different biological discipline, A Veterinarian, Main Nominee, Link Nominee, Scientist from outside institute and social aware nominee;

(l) "Institute Body" means the anteceding institutions conglomerated and established as a body corporate under the Act.

(m) "Joint or dual doctoral degree programme" means a cotutelle programme of research and training carried out by a scholar who is concurrently enrolled in and jointly supervised by supervisors at two different Institutes simultaneously in any discipline or interdisciplinary areas, and on successful completion of degree requirements of both Institutes, two separate degree certificate (testamurs) shall be issued by the Institutes.

(n) "Ph.D. Open defense" means the presentation of research findings before the Research Degree Committee by the research scholar after evaluation of the thesisand recommendation of the examiners and Departmental Research Committee;

(o) "Ph.D. proposal defense" means draft synopsis presentation before the Institutional Research Committee by the research scholar;

(p) "Pre-Ph.D. defense" means presentation of research findings before the Institutional Research Committee after completion of research work by the research scholar within the specified tenure;

(q) "Principal Investigator" means person nominated by the Institute for research project to communicate with Institutional Research Committee in relation to project related matters and generation of intellectual property during execution of project.

(r) "registration period" means the period from the date of registration to the Ph.D. Open defense of the research work;

(s) "Research Scholar" means a person registered for research for the Doctoral degree programme of the Institute in compliance with the provisions of theseregulations;

(t) "residency period" means the period for which a research scholar shall attendthe Institute on a full-time basis;

(u) "Statement of Purpose" means the document which shall be submitted to the concerned Departmental Research Committee by the qualifiedapplicant;

(v) "Teacher" means a person appointed as Lecturer or Assistant Professor, Reader or Associate Professor, Professor and a person appointed in concerned basic science department as Pharmacologist, Pharmaceutical Chemist, Pharmacognosist, Biochemist, Microbiologist, Pathologist and Radiologist in the Institute on a regular basis;

(w) "Trans disciplinary subjects" means the subjects other than health sciences, and

(x) "valid registration" means that the scholar who has been registered for the Doctoral programme after paying full dues.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meaning as assigned to them in the said Act.

3. Research Committees.- All matters connected with the Doctoral degreeprogramme of the Institute shall be dealt in accordance with these regulations bythe Research Committees subject to the general supervision of the Governing body of the Institute.

4. Institutional Research Committee.- (1) There shall be an Institutional Research Committee consisting of the following members, namely:-

Institutional Research Committee of the Institute.		
1.	Director	Chairperson;
2.	Deputy Director (Post Graduate)	Member;
3.	Deputy Director (Pharmacy)	Member;
4.	Dean (Academic)	Member;
5.	Member Secretary, Institutional Ethics Committee	Member;
6.	Member Secretary, Institutional Animal Ethics Committee	Member;
7.	Biostatistician	Member;
8.	Head Biochemistry or Pathology or Microbiology to be nominated by Chairperson preferably on a rotation basis which can be finalised by the Chairperson	Member;
9.	Head Pharmacology or Pharmaceutical Chemistry or Pharmacognosy, to be nominated by Chairperson preferably on a rotation basis which can be finalised by the Chairperson	Member;
10.	Three head(s) of the post graduate teaching departments to be nominated by the Chairperson preferably on a rotation basis which can be finalised by the Chairperson	Members;
11.	Head, Account section of the institute	Member;
12.	Three invitee External experts to be nominated by Chairperson	Member(s); and
13.		
14.		
15.	Dean (Research)	Member Secretary.

(2) The Institutional Research Committee shall be constituted by the Director on the recommendations of the Dean (Research) for a period of three years.

(3) While making the recommendations, the Institutional Research Committee shall ensure that the recommendations are made in conformity with these regulations and it shall have the following powers and functions, namely:-

(a) to review and monitor the research activities of the Institute;

(b) to review and approve the research proposals and other research project related matters;

(c) to examine the recommendations of the Departmental Research Committee and make appropriate decisions;

(d) to scrutinise the applications of the sponsoring agencies for determining the nature, purpose, quality and feasibility of the proposed sponsored research work or project and to approve and make necessary recommendations, if any;

(e) to appoint the Principal Investigator for the proposed sponsored research work or project;

(f) to change the Principal Investigator of research projects under special circumstances by giving preference to the Co- Principal Investigator, if any;

(g) to review and recommend the Memorandum of Understanding with the any reputed organisation or agencies.

(4) Institutional Research Committee shall meet quarterly or at least twice in year, however, the Chairperson of the Institutional Research Committee shall call the meeting at any time to address the research related activities.

(5) After each Institutional Research Committee meeting, Member-Secretary shall prepare the minutes of the meeting and after circulation among members shall be signed by Member-Secretary with the approval of Chairperson and copy of the minutes shall be communicatedto the Director and Controller of Examinations and other concerned.

(6) Minimum fifty per cent. members are required to fulfill the quorum of the meeting.

5. **Departmental Research Committee.-** (1) A Departmental Research Committee shall be constituted for each teaching department of the Institute by the Director on the recommendations of the concerned Head of the Department for a period of three years and each Departmental Research Committee shall consist of minimum five members.

(2) Minimum fifty per cent are required to fulfill the quorum and a regular teacher with Ph.D. degree shall be members of the Departmental Research Committee.

(3) The Departmental Research Committee shall consist of the following members, namely:-

Departmental Research Committee of the Institute.		
1.	Head of the Department	Chairperson;
2.	All Professors in the Department	Members;
3.	One Associate Professor from the teaching staff of the Department by rotation, according to seniority	Member;
4.	One teacher from the other department to be nominated by Chairperson of Departmental Research Committee	Member;
5.	One Head of the basic science department nominated by Chairperson	Member;
6.	One Assistant Professor from the teaching staff of the Department by rotation, according to seniority.	Member Secretary; and
7.	One external expert to be nominated by the Chairperson in the concerned subject.	Member.

(4) Dean (Academic), Dean (Research) and Deputy Director (Post Graduate) shall be the member at the time of Pre-Ph.D. and Ph.D. Open defense and *viva voce*.

(5) The Dean (Research) is empowered to attend any Departmental Research Committee meeting and shall be considered as member of the particular meeting.

(6) The Chairperson shall be in the rank of Professor and in case Head of the Department is not in the rank of Professor, the Director may appoint Associate Professor of same department or suitable person as Chairperson.

(7) The Chairperson shall have power to co-opt such membersof the staff of the Institute as may be helpful to them in their deliberation as temporary member.

(8) The concerned Guide or Supervisors and Co-guide or Co-supervisors shall be invited to participate in the Departmental Research Committee meeting only during the presentations of Ph.D. Scholars under their supervision.

(9) For each department of Pharmacy programme, a common Departmental Research Committee shall be constituted as per the Institute of Teaching and Research, Post Graduate- Pharmacy Regulation 2023.

(10) The Departmental Research Committee shall meet at least once in six months.

(11) While making the recommendations, the Departmental Research Committee shall ensure that the recommendations are made in conformity with these regulations and it shall have the following powers and functions, namely:-.

(a) to scrutinise the statement of purpose of qualified applicants for determiningthe eligibility or otherwise for the registration and make necessary recommendations;

(b) to approve the field of research in which the applicants shall be recommended to carry on research and shall assign Guide or Supervisor and Co-guide(s) or Co-supervisor(s) or to guide the research work;

(c) to recommend the change of the Guide or Supervisor with justification, if necessary;

(d) to grant extension of term as per Ph.D. regulation; and

(e) to evaluate the progress reports of the research works and to discuss all otherissues related to research work.

(12) After each Departmental Research Committee meeting, Member-Secretary of the Departmental Research Committee should prepare the minutes of the meeting and after circulation among members shall be signed by Member-Secretary with the approval of Chairperson of the committee.

(13) A copy of the minutes shall be communicated to the Controller of Examinations.

(14) In case of any dispute in Departmental Research Committee, the matter shall be referred to the Institutional

Research Committee, whose decision shall be final and abiding.

6. The Research Degree Committee .- (1) The Research Degree Committee constituted by the Director consist of the following members, namely:-

The Research Degree Committee.		
1.	Director	Chairperson;
2.	Dean (Research)	Members;
3.	Dean (Academic)	Member;
4.	All the members of concerned Departmental Research Committee	Members;
5.	Guide or Supervisor of the concerned Ph.D. Scholar	Member;
6.	External Examiner for that particular scholar	Member; and
7.	The Controller of Examination (CoE)	Member Secretary.

(2) While making the recommendations, the Research Degree Committee shall ensure that the recommendations are made in conformity with these regulations and it shall have the following powers and functions, namely:-

(a) to conduct Ph.D. Open defense and *viva voce* of the Ph.D. scholar; and

(b) to recommend for award of the Ph.D. Degree to the successful scholar.

7. Classifications of applicants.- The applicants for admission to the Doctoral degree programme shall be classified under any one of the following categories, namely:-

(a) financed by the Ministry of Ayush;

(b) financed by other Government Organisations like Central Council for Research in Ayurvedic Sciences, Council of Scientific and Industrial Research,University Grants Commission, Indian Council of Medical Research, All India Council for Technical Education, under any research scheme;

(c) financed by the Central Government under a Cultural Exchange Scholarship Programme, self-financing foreign student or a scholar admitted under a Memorandum of Understanding;

(d) financed by the Academic bodies, Educational institutions, professional bodies, Non-Governmental Organisations;

(e) self-financed;

(f) Research Associate or Senior Research Fellow or Junior Research Fellow;

(g) in campus teachers or staff (regular or contractual);

(h) registered for dual doctoral degree programme.

8. Admission.- (1) The admission to the Doctoral degree programme shall be in all the subjects in concerned department where Post Graduation programmes are being offered by the Institute.

(2) For Allied or trans disciplinary research, the admission shall be made on the availability of subject specific guide selected by the scholar.

(3) The applicants for admission to the Ph.D. programme shall possess any of the following qualifications, namely:-

(a) Post Graduate degree in Ayurveda from a recognised University or Institute established by law; or

(b) Post Graduate degree in Ayurveda Pharmacy [M.Pharm (Ayurveda)] or Medicinal Plants [M.Sc. (Medicinal Plants)] or concerned field as per specialty from a recognised University or Institute established by law; or

(c) Post Graduate degree in Allied or Trans disciplinary subject from any recognised University or Institute established by law.

(4) The eligibility qualifications for Foreign Nationals are the same as specified in these regulations for Indian Nationals and further, they are required to submit their applications through Indian Council for Cultural Relations.

(5) Admission in Ph.D. programme shall be held once in a year and the process of admission shall be started from the month of August-September each year and the entrance test shall be conducted generally in the

month of October-November every year.

(6) All the important dates for the procedure of admission like date of advertisement, issue of application form, entrance test, date of result of test, date of submission of Statement of Purposes etc. shall be decided in advance by the authority and shall be mentioned in academic calendar of the Institute.

(7) Along with the advertisement for admission, list of qualified available guides, their specific research area and vacancies under them shall be put on official website of the Institute.

(8) All applicants have to apply for the entrance test in specified format (Annexure –A) along with fees decided by the authority from time to time.

(9) The applicants appearing in the final year examination of their respective Post Graduate degrees may also apply for entrance test, however, their registration shall be subject to their passing in those examinations at the time of registration.

(10) The eligibility test shall be based on knowledge of Ayurveda with special focus on the concerned subject of specialty current advances in Medical Science, Research Methodology, Biostatistics and there shall be two question papers of multiple choice questions format, namely, Paper I and Paper II bearing equal weightage of fifty marks each.

(11) Paper I shall comprise the questions on Research Methodology and Biostatistics along with the current advances in Health Sciences and it shall be common for all the applicants and Paper II shall be subject specific. There shall be separate question papers for each discipline.

(12) The duration of the entrance test shall be ninety minutes.

(13) An applicant has to secure a minimum of fifty per cent. cumulative marks for qualifying the examination for the General or the Other Backward Classes or the Social and Economically Backward Classes categories and forty-five per cent. for the Scheduled Cast or Scheduled Tribes categories.

(14) If applicants of the same category and of the same specialty, score cumulative equal marks in entrance test, the marks obtained in Paper I shall be considered for the merit and in the condition of scoring equal marks in Paper I, the marks secured in the final year graduation theory exam shall be considered for merit place.

(15) Selection of the research scholar shall be made by the respective Departmental Research Committee after due consideration to the qualifications, previous research experience along with publications and submitted statement of purposes and satisfactory performance in the interview and feasibility of the submitted research proposal.

(16) The research scholars shall join the respective department and shall complete the procedure for registration.

(17) The selection of the Allied or Trans disciplinary scholars shall be based upon the University Grants Commission guidelines.

(18) The Central Government sponsored international scholars shall be exempted from entrance test:

Provided that they have to complete the course work decided by the Institute.

9. Choice of Guide.- The allotment of the research scholars to the Guides shall be made by the Departmental Research Committee on the basis of merit and taking into consideration the area of research of the department and preference of the researchscholars and acceptance of the Guides.

10. Allotment of Stipendiary and Non-stipendiary seats.- (1) In case of stipendiary seats, the available seats shall be allotted equally among all the departments and in case when sufficient scholars are not available in concerned departments, the remaining seats shall be allotted to other departmental scholars as per the merit list of the entrance test, subject to the availability of seats under the Guides of concerned

department.

(2) In case of non-stipendiary seats, the qualified candidates may opt for seat as per subject availability and availability of seats under guide.

11. Course Work. - (1) All research scholars shall compulsorily complete Research Methodology and Scientific writing course work of six months duration organised by the Institute.

(2) The syllabus of course work shall be decided by the concerned department and approved by the Academic Council from time to time;

(3) The research scholar has to secure fifty-five per cent. marks to qualify.

12. **Synopsis.-** (1) After satisfactorily completion of course work, the research scholar shall submit their synopsis of research project under the guide or supervisor to the Departmental Research Committee for approval.

(2) The Departmental Research Committee shall forward the approved synopsis through the Head of the Department to the Dean (Research) of the Institute for proposal defense before Institutional Research Committee and the Institutional Research Committee may approve the proposal within period of fifteen days.

(3) At the time of proposal defense, the research scholar shall invite all the teachers of the institution to appraise the synopsis and to receive suggestions for improvement of the proposed research work.

(4) The Dean (Research) shall forward these synopsis to the Institutional Ethics Committee or Institutional Animal Ethics Committee for approval, as applicable.

(5) The Dean (Research) shall forward the approved synopsis, to the Controller of Examination for registration of the title within a period of fifteen days.

(6) Any alteration in the Ph.D synopsis including title of the Ph.D. research project shall be approved by the Institutional Research Committee and Institutional Ethics Committee or Institutional Animal Ethics Committee on the basis of the recommendation of concerned Departmental Research Committee within six months of the registration of the scholar.

13. **Ph.D. Tenure.-** (1) The tenure for the Doctoral degree programme shall be three years from the date of joining.

(2) In case of research work is not completed within stipulated period, on the recommendation of the concerned supervisor or guide, the Departmental Research Committee may grant extension up to two years.

(3) In case of incompletion of the research work within the time period of five years maximum extension of one year may be granted by the Director on the recommendation of the Departmental Research Committee.

(4) In case the total time required or taken exceeds six years from the date of initial registration, the research scholar shall have to re-register for Ph.D for further period of twoyears.

(5) The female research scholar and person with disability (having more than forty per cent. disability) may be allowed an additional two years, however, the total period for completion of a Ph.D. programme in such cases should not exceed ten years from the date of admission in the Ph.D. programme.

(6) For stipendiary seats, term of Ph.D. stipend shall be of thirty-six months from the date of joining the Ph.D. programme.

(7) There shall be two Ph.D. terms in a year, which shall start from January of each year i.e. January to June and July to December.

14. **Registration. -** (1) Every research scholar shall pay the fees as notified by the Institute from time to time (Annexure –B).

(2) Each research scholar shall have a valid registration at the time of submission of thesis.

(3) The registration of a scholar shall be cancelled, after due approval of the Institutional Research Committee, in any one of the following eventualities namely:-

(a) if the research scholar remains absent for a continuous period of one month withoutprior intimation and sanction of leave;

(b) if the research scholar withdraws from the Ph.D. Programme and the withdrawal isduly accepted by the Institutional Research Committee;

(c) if the research scholar fails to pay the fees in any academic year subject to theprovisions contained in these regulations;

(d) if progress of research work is found unsatisfactory in three consecutiveterms; and

(e) if research scholar is found involved in an act of misconduct or indiscipline or both.

15. **Guide or Supervisor and Co-Guides or Co-Supervisors.-** (1) For recognition as Ph.D. Guide or Supervisor, permanent faculty of the Institute shall apply on specified proforma along with fees (Annexure-C) as decided by the authority from time to time.

(2) A teacher, with Ph.D. degree in concerned or allied subject, having total five years teaching or research experience may be appointed as Ph.D. Guide or Supervisor.

(3) In case of unavailability of eligible guide as mentioned in sub-regulation (2), the Director shall be empowered to allot the guide ship to any competent teacher of the subject as an interim measure.

(4) Ordinarily, there shall not be more than eight research scholars under a Professor, six scholars under an Associate Professor and four research scholars under an Assistant Professor in a concerned department at a point of time.

(5) In case of Ph.D. programme, the heads or teacher of basic science department can guide maximum four research scholars (having five-year experience), six scholars (having ten year experience) and eight research scholars (having fifteen year experience) at a point of time.

(6) The seat shall be considered vacant under Guide or Supervisor from the date of pre Ph.D. defense of research scholar while calculating the quota mentioned in sub-regulations (4) and (5).

(7) A teacher shall not be allowed to register the research scholars three years prior to hisretirement and in case the Guide or Supervisor appointed by the Institute to guide the research work of the scholar, retires or leaves the job and during these period, if the scholar has already completed specified compulsory tenure,the planned research work under supervision, the scholar shall be allowed to continue in the name of his or her original Guide or Supervisor in his thesis.

(8) In case the Guide or Supervisor appointed by the Institute to guide the research work of the scholar ceases to be the Guide or Supervisor by virtue of retirement or otherwise before the completion of two years tenure of the scholar and if there after a Co-guide or Co-supervisor is qualified for the guide-ship, he shall automatically be the Guide of the research scholar and if co-guide is not eligible for guide- ship, the assignment of the next Guide or Supervisor shall be decided by the Departmental Research Committee after giving due consideration to the views of the concerned scholar in this regard.

16. Stipend or Fellowship. - (1) The Institute shall award Stipend or Fellowship to the eligible research scholars in accordance with the norms as laid down by the Institute.

(2) The research scholars shall require to be involved in teaching assistance as assigned by the respective Guide or Supervisor or Head of the Department.

(3) All research scholars who have been awarded stipend or fellowship or contingency grant by the Institute shall devote their entire time to Doctoral research and shall not engage him or herself in full-time or part-time professional practice or employment with public or private institutions or organisations and for the purpose an undertaking about the same shall be submitted by the scholar at the time of admission.

(4) The admission to the Ph.D. programme and award of stipend or fellowship shall not be linked and admission to the programme shall not guarantee fellowship andthose who are not awarded fellowships can continue with the programme as self-financing scholar.

(5) The stipend or fellowship, if awarded, shall be available only for maximum of thirty-six months as per rules.

(6) No stipend or fellowship shall be given for leave period except for paid leave.

17. Leave.- (1) The scholars shall be allowed casual leave up to ten days each year and this leave can be joined with the holidays or Sundays and the research scholars can avail such leave maximum up to six days at a time including holidays and in between holidays shall be considered as holidays and the casual leave shall not be joined with medical leave and this leave can't be carry forwarded.

(2) The research scholars shall be allowed fifteen days medical leave in a year on submission of medical certificate of a registered medical practitioner and this leave shall not be carry forwarded.

(3) Wherever eligible, maternity or child care leave shall be given to the research scholars as per the Maternity Benefit Act, 1961(53 of 1961) however, after joining, such scholars have to complete the study period as mentioned at sub-regulation (1) of regulation 13 and further, such leave shall be allowed once during the period of study on production of substantial document and no any kind of leave shall be attached with this leave.

(4) The Director has power to sanction up to thirty days leave in extra ordinary circumstances and no stipend shall be paid for such kind of leave which is sanctioned in extra ordinary circumstances.

(5) The duty or special leave shall be granted to the research scholars who are deputed or allowed by the authority to take part in the sports, seminar and such leave shall not exceed fifteen days in a year.

(6) The leave may be extended maximum up to further fifteen days in special case by the Director.

(7) The research scholar shall be allowed to avail medical leave under any special circumstances up to maximum sixty days without stipend under medical ground with the valid medical certificate issued by the

registered practitioner.

(8) The period shall not be counted to fulfill the minimum specified tenure for Doctorate degree.

(9) Any unreasonable leave or absence availed by stipendiary or non-stipendiary scholars without the previous approval of the competent authority or in excess of limit mentioned above as per sub-regulation (1) to (5) shall be treated as willful absence and no stipend shall be granted for such period and it may also invite disciplinary action which includes termination of the candidature and recovery of the stipend paid by the Institute.

(10) The research scholar may be allowed to carry out his research work in the approved research centers approved by the competent authority, as per the approved research synopsis, with prior approval from the Departmental Research Committee and his leave period shall be considered as on duty, on submission of certificate from the concerned centers and the total duration of such period shall not exceed total ninety days during theentire Ph.D. tenure.

(11) By considering specific research work the Chairperson, Institutional Research Committee or Director may approve more days on recommendation of the Departmental Research Committee and no allowances in term of travel, food and accommodation shall be paid during the on duty period.

(12) The above leave regulations shall also apply to research scholars admitted on non-stipendiary seats.

(13) The leave shall not be claimed as of right and the authority reserves the right to cancel the leave without any explanation.

18. Residency.- The research scholar shall require to devote his entire time to Doctoral degree programme during specified compulsory tenure after registration and during this tenure, a Post Graduate (Ayurveda), Scholars shall be considered as Clinical Registrar

19. Progress of Research.- (1) Every research scholar shall submit a progress report of research work including time schedule in the specified forms to the Guide or Supervisor at the end of every six months and the Guide or Supervisor shall forward progress reports with remarks for the consideration of the Departmental Research Committee and after reviewing the report, the Departmental Research Committee may recommend appropriate action to be taken by Institutional Research Committee.

(2) If there are three successive unsatisfactory reports (or absents from the meetings of the Departmental Research Committee) on the progress of a scholar as reviewed by Departmental Research Committee, the Institutional Research Committee may recommend cancellation of the registration of the scholar on the recommendation of the Departmental Research Committee.

20. Pre-Ph.D. Defense.- (1) On completion of the planned research work, prior to thesubmission of the thesis, the scholar shall be required to present a summary of thesis in a pre-Ph.D. defense to be conducted by the Institutional Research Committee on the recommendations of the Departmental Research Committee.

(2) The scholar shall have to invite all the teachers and other Research workers of the Institute to appraise his work and to receive suggestions for the improvement in the research work so as to finalize the work of thesis.

21. Submission of thesis for evaluation.- (1) The thesis shall be an original work which shall signify discovery of new facts or indicate new techniques or new inter-relations of facts already known or newer interpretations of the concepts and the articulation of the contents shall be satisfactory, both in text and graphic presentation.

(2) The respective Guide or Supervisor shall ensure that the thesis has been put to plagiarism check and it meets the norms as decided by the Institutional Research Committee from time to time and plagiarism in any case shall not be more than ten per cent. and a certificate to this effect shall be enclosed along with the thesis.

(3) The research scholar shall have to submit thesis within a period of six months from the date of Pre-Ph.D. Defense and in extra ordinary circumstances, if a scholar cannot submit the thesis within above mentioned time limit, the Departmental Research Committee may recommend to Institutional Research Committee to extend the time period maximum up to one term (six months) with proper justification and if the scholar fails to submit the thesis even in the above said extended time period, his registration shall be cancelled.

(4) It is desirable that every research scholar publish two research papers based on his current Doctoral research work in a peer reviewed journal at least indexed at University Grants Commission– Consortium for Academic Research and Ethics listed research journal.

(5) The copies of such published research papers shall be attached with the final thesis.

(6) The dissertation, when approved, shall become the property of the Institute and any publication and Intellectual property rights relating to research work carried by the scholar must mention the name of the Supervisor or Guide as a author and affiliation shall provide to this Institution and if is not implemented in any case, the Institute may initiate the legal actions.

(7) The research scholar shall submit following documents along with thesis, whichever applicable, namely:-

(a) Plagiarism certificate;

(b) Clinical Trials Registry- India completion certificate;

(c) Institutional Ethics Committee and or Institutional Animal Ethics Committee certificate or both; and

(d) Copy of Aadhar Card or Passport.

(8) Before a research scholar submits thesis for the Ph.D. work, he shall submit a certificate from the Guide or Supervisor and the Head of the Department stating that –

(a) he has completed the Research work for the full prescribed Ph.D. tenure and that the thesis embodied the result of investigation conducted during the period he worked as a Ph.D. Research scholar;

(b) the thesis has been accompanied by a declaration signed by the scholar to theeffect that "the thesis is his original and independent work";

(c) that the material from other sources, if any, is duly acknowledged;

(d) the thesis is authenticated by the Guide and Co-guide;

(e) he has completed the required residency, course works and submit theno dues certificate;

(9) On completing Ph.D. programme, the research scholar shall submit the following documents to Dean (Academic) through proper channel, namely:-

(a) four copies of the printed thesis in Sanskrit or Hindi or English;

(b) the receipts of specified examination and other fees; and

(c) an abstract of the research work done within thousand words giving the salient points of work.

(10) The Dean (Academic) shall forward the mentioned documents to the Controller of Examinations.

(11) The research scholar shall not submit his thesis work which has been accepted or rejected for a degree or any other distinction in the University or in any other University or Institute, but scholar may incorporate in his thesis the contents of any work which he may have previously done on the subject, provided that in such a case scholar shall indicate the work previously done by him in his application and in the introduction of his thesis.

(12) Printed thesis shall be presented in accordance with the following specifications, namely:-

(a) the paper used for printing shall be of A4 size;

(b) printing shall be in a standardised form on both side of the paper, and in oneand half spacing;

(c) a margin of 1.25 inches shall be in both sides;

(d) times New Roman Font size twelve for English and any Unicode font of size fourteen for Devnagari script shall be used;

(e) the cover page of the thesis shall display; the title of the thesis, name of the Institute, degree, its specialty and department, full name of the scholar, nameof the Guide and Co-Guide (if any), month and year of the submission and registration number.

(13) The research scholar shall initially submit four temporary bound copies of the thesis for the evaluation of examiners and once the thesis is approved by all the examiners,scholar shall be informed about the approval and shall be asked to incorporate, the suggestions made by the examiners, Departmental Research Committee and Research Degree Committee (at the time of Ph.D. Open defense and viva voce), if any, in the final thesis and submit two hard bound copies and soft copy format to the Institute and along with a declaration countersigned by the Guide or Supervisor forwarded by the Chairperson, Departmental Research Committee, to theeffect that the suggestions of the examiners have been duly incorporated in the thesis.

22. **Examination.-** (1) A teacher or researcher with a Ph.D. Degree in concerned or allied subjects having five years Post Graduate teaching experience or ten years Post Graduate and Undergraduate combined teaching experience or ten years of research experience in concerned subject or field or area may be appointed as Examiner for the Ph.D. examinations of thesis and *viva-voce*.

(2) There shall be four adjudicators to be appointed by the Institute for adjudication of the thesis and at the time of submission of the thesis, the concerned Departmental Research Committee shall ordinarily recommend a panel of six examiners with brief bio-data of each of the examiners, including their area of research and expertise to the Controller of Examination and the Director shall appoint three examiners from the panel submitted by the Departmental Research Committee and the Guide or Supervisor of the research scholar shall be the internal examiner.

(3) The examiners shall ordinarily accept appointment offered by the Institute within ten days.

(4) The examiners shall submit their individual reports within a period of one month of the receipt of the thesis and in special cases on the request of the examiners the time of submission of the reports may be further extended maximum up to one month by the Institute and if the examiner concerned fails to submit the report in extended period, another examiner shall be appointed from the panel to evaluate the thesis.

(5) While, submitting the report, the examiner shall state whether the thesis complies with the following conditions to merit the award of the degree, namely:-

(i) it shall be a piece of research work, characterised either by the discovery of new facts or by fresh approach towards interpretation of facts and theories;

(ii) it shall evidence the scholar's capacity for critical examination and judgment; and

(iii) it shall also be satisfactory so far as its literary presentation is concerned.

(6) After the examiners have evaluated the thesis, they may recommend that the thesis be accepted for the award of the Ph.D. degree or the thesis be representedin a revised form or the thesis be rejected.

(7) The examiners shall give their detailed evaluating comments and the final recommendation of the examiner shall be in line with and commensuration with his evaluating comments.

(8) While recommending Ph.D. Open defense examination of the research scholar, the examiner may indicate the nature of questions and the issues to be clarified at the Ph.D. Open defense

(9) The report shall be specific and shall state the grounds on which the recommendation is based and in case two examiners recommend the award of the Ph.D. degree and the other two examiner differ, the reports of the examiners with the recommendations and the thesis shall be referred to a fifth examiner without mentioning the names of the examiners who may make arecommendation in the manner specified above; and his recommendation shall befinal i.e. if he disapproves the thesis the thesis shall be rejected.

(10) Non approval of the thesis by two or more examiners shall lead to rejection of the thesis and in such circumstances, no *viva voce* shall be held and research scholar shall be declared as failed.

(11) If the thesis is approved by all the examiners and Ph.D. Open defense is to be heldin such circumstances, the reports shall be made available to the research scholar, the research Guide and the Chairperson of the Departmental Research Committee without mentioning the name of examiners at least fifteen days before the Ph.D. Open defense.

23. **Ph.D. Open defense and *Viva voce*:-** (1) After receiving the reports from the Controller of Examination through the office of Dean (Aacdemic) the Departmental Research Committee shall discuss the reports and shall inform the scholar regarding suggestions of the examiners.

(2) The research scholar shall submit the report about revision or modification as suggested by the examiners and shall submit answer of all such queries which are raised by the examiners in their reports.

(3) Departmental Research Committee shall evaluate the submitted matter, and if found satisfactory, shall recommend for viva voce.

(4) On approval of the thesis by all the examiners, the Departmental Research Committee shall recommend for Ph.D. Open defense and viva voce and Ph.D. Open defense and *viva voce* shall be held at the Institute conducted by the Research Degree Committee.

(5) The date, time and the place for the Ph.D. Open defense and *viva voce* shall be notified by the Controller of Examination in consultation with the internal examiner, at least fifteen days in advance.

(6) If neither of the external examiners is able to be present at the time of the Ph.D. Open defense and *viva voce*, the Director on the recommendation of the Departmental Research Committee shall appoint a senior

research Guide in the subject to act as an examiner for the Ph.D. Open defense and *viva voce* and if the internal examiner is not available, the Director shall appoint one of the senior research Guide in the subject concerned as one of the internal examiner.

(7) The overall result shall be officially declared by the Controller of Examination within a period of seven working days from the date of the Ph.D. Open defense and viva voce and provisional degree certificate may be issued by the examinationbranch of the Institute after the declaration of the result.

(8) In case the Ph.D. Open defense and viva voce is not satisfactory, the Research Degree Committee may recommend a fresh Ph.D. Open defense and vive voce and it shall be organized after six months and for such fresh Ph.D. Open defense and viva voce, fresh fee as decided by the competent authority shall be charged and scholar shall be given maximum one chance to re-appear for the Ph.D. Open defense and viva voce.

24. Conduct of Ph.D. Open defense and *viva voce*.- (1) If there is recommendation from all examiners as per sub-regulation (11) of regulation 22, the Ph.D. Open defense and *viva voce* shall be conducted by the Research Degree Committee.

(2) If any examiner gives recommendation, thesis, after incorporating the comments, shall be examined by the same examiner and after final recommendation by this examiner, the P.D. Open Defense and *viva voce* examinations may be conducted.

(3) In case of differences of opinion between the examiners, views of majority shall prevail.

(4) If examiner recommends the major revision in the thesis, research scholar shall be given six months from decision of Institute to submit the revised thesis as per the recommendations and revised thesis shall be re-evaluated by the examiner and ifthe examiner is unable to re-evaluate the thesis, the Director, in consultation with the Departmental Research Committee shall appoint another examiner from the submitted examiner panel.

(5) In case two or more than two examiners recommends for major revision and rewriting of the thesis, the thesis shall be so revised, rewritten and resubmitted within a period of one calendar year from the decision of the Institute are communicated to the research scholar and in such a case term fee and the examination fee shall be paid for resubmission and if more than one year time is required but totaltime for completion is less than six years from initial registration, the research scholar shall be granted extension of time to that extent.

(6) In case the total time required or taken exceeds six years from the date of initial registration, the research scholar shall have to re-register for Ph.D for further period of twoyears.

(7) At least one of the examiners from outside the Institute shall be present in the Ph.D. Open defense and *viva voce*.

(8) In addition to obtaining satisfactory clarification of the points raised by the examiners in their reports, the Research Degree Committee shall satisfy itself that the knowledge of the scholar in the broad area of his study is satisfactory.

(9) On the consideration of the report of the Research Degree Committee, the Chairperson shall finally decide whether,-

(a) the degree of Doctor of Philosophy (Ph.D.) be awarded; or

(b) the scholar is required to be re-examined on a later date; or

(c) the degree of Doctor of Philosophy (Ph.D.) may not be awarded.

25. Award of the Degree.- (1) The recommendation of the Research Degree Committee shall be placed before the Institute Body of the Institute for approval of the degree.

(2) The Scholar who have completed the Doctoral Degree programme and have been declared successful in Ph.D. Open defense and *viva voce* shall be awarded the degree of-

(a) Doctor of Philosophy- Ph.D. (Ayurveda) (Ayurvidyavaridhi);

(b) Doctor of Philosophy- Ph.D. (Ayurveda Pharmacy);

(c) Doctor of Philosophy- Ph.D. (Medicinal Plants);

(d) Doctor of Philosophy- Ph.D. (Allied Science);

(e) Doctor of Philosophy- Ph.D. (Trans disciplinary)

on payment of necessary fees, either in person or in absentia at his optionat the succeeding convocation of the Institute.

26. **Fees.-** The fees as decided by the Governing Body of the Institute from time to time shall be charged from the research scholars as may be applicable to them.

27. **Bond for Stipendiary seats.-** (1) Every selected research scholar shall have to execute a bond with the Institute before joining the Doctoral degree programme in the specified form as per Annexure D.

(2) If the scholar leaves the Doctoral degree programme in between, the scholar shall have to pay rupees three lakhs to the Institute as compensation in advance to get relieved from the Institute along with the stipend paid in advance along with availed research budget in advance.

28. **Joint or Dual doctoral degree programme.-** (1) The Institute shall run Joint or dual Doctoral degree programme in collaboration with the reputed National and International Universities or organisations or Institutes.

(2) The scholar shall register separately at both the collaborative Institutes.

(3) The scholar shall have to spend minimum tenure specified by the respective Institute as per their Ph.D. regulation.

(4) The scholar shall abide to the Ph.D. regulation of the respective Institute during his tenure at respective Institute.

(5) The detailed modalities for Joint or Dual Doctoral degree programme shall be framed mutually by the collaborative Institutes at the time of Memorandum of Understanding.

29. **Miscellaneous.-** (1) The research scholars undergoing full time Doctoral degree programme shall not be permitted to undertake any paid or unpaid appointments or service or work or engage himself in self-employment and thescholar shall be directed to obtain 'No Objection Certificate' from the Institute while, submitting an application for any new job or appointments and the defaulters are liable for disciplinary action such as recovery of stipend, availed research budget and termination of admission.

(2) If the scholar gets selected for a permanent appointment in any Government body during the tenure of Doctoral degree programme, the scholar may join the services and may complete the doctoral degree programme after getting due permission from the employer within period of six year from date of registration in the Institute.

30. The Director of the Institute has the final authority for any discrepancy in the interpretation of provisions of these regulations, and for reasons to be recorded in writing, may relax any provisions of these regulations with the approval or ratification of the Governing body of the Institute.

Dr. ANUP THAKAR, Director

[ADVT.-III/4/Exty./809/2023-24]

Annexure- A

[See sub-regulation (8) of regulation 8]

Institute of Teaching and Research in Ayurveda

APPLICATION FORM FOR DOCTOR OF PHILOSOPHY ENTRANCE TEST- Academic Year ……

	Doctor of Philosophy programme applied for	Ph.D. (Ayurveda) / Ph.D (Ayuveda Pharmacy)/ Ph. D. (Medicinal Plants)		Paste your recent passport size self-attested photograph
	Specialty			
1.	Surname			
2.	Name			
3.	Father's or Husband's Name			
4.	Gender	5.	Marital Status	
6.	Date of Birth	7.	Nationality	
8.	Category			
9.	Phone Number	10.	Mobile	
11.	E-mail			
12.	Permanent Address (With PIN)			
13.	Correspondence Address			

	(With PIN)			
14.	Name of Graduation Course			
	Obtained Marks/Max. Marks		Graduation Course Percentage	
	Graduation Course University			
	Graduation Course Duration		Graduation Course Passing Year	
15.	Master or Post Graduate Degree Course Name			
	Master or Post Graduate Degree University			
	Master or Post Graduate Degree Duration		Master / P.G. Degree Passing Year	
	Master or Post Graduate Specialty			
	Title of the Dissertation /Thesis			
16.	Details of Internal In-service Candidates			
	Name of Institute			
	Name of Post			
	Nature of Appointment		Specialty/ Department	
	Total Experience		Employee Code	
17.	Payment details – Bank			
	Payment Reference no. and Date			

Signature of Candidate

Annexure-B

[See sub-regulation (1) of regulation-14]

Institute of Teaching and Research in Ayurveda

Ph.D (Ayu) Fee		
Sl. No.	**Name of Item**	**Year 2021-22 (Fee in Rs.)**
1.	Registration Fee	500/-
2.	Library Caution Money	2500/- (Ayu. subscription)
3.	Research fee per term (Academic Fee)	15000/- (per term to paid half yearly)
4.	Laboratory fee per term	Nil
5. *	Enrolment fee (payble if the candidate is graduate of another university and it not enrolled at this university)	500/-
6.	Admission fee	1000/-
7.	Hostel Deposit	2500/- (hostel caution money)
8.	Hostel Electric charges per month	Nil
9.	Hostel Maintenance charges per month	1500/- (per month)
10. *	Examination fees. (Payble at the time of submission of Thesis)	6000/-
11.	Student Union fee per year (Rs. 300 x 2) (two year)	600/-
12.	Board of Sports fee (Rs. 100- per term x 4)	400/-

*As per 4th SFC held on 15th March 2023

Annexure-C

Institute of Teaching and Research in Ayurveda

[See sub-regulation (1) of regulation-15]

APPLICATION FOR Ph.D. GUIDE/SUPERVISOR

1. Name of Faculty in full (Beginning with surname)
   _____
2. Date of Birth : _____
3. Designation : _____
4. Department or Specialty: _____
5. Name & address of Institute where applicant employed :
   _____
   _____
   _____
6. Correspondence address:
   _____
   _____
   _____
7. Academic qualification:

	Degree	University	Year	Subject or Specialty
Graduation Degree				
Post Graduate Degree				
Doctoral Degree				
Post-Doctoral Degree if any				

8. Teaching/Research Experience:

Teaching experience	Post or Designation	Name of Institute	From	To	Total number of years
Under Graduate					
Post Graduate					
Research					

9. Research Publications of last five years:

Year	Number of publications in peer reviewed journals with ISBN or ISSN no.	No. of publications in Indexed or University Grants Commission care listed journals	Total no. of publications

10. Other Publications:

Nature of Publication	Number of publications	Year of Publication	Publisher (Local or National or International)
Books			
Monographs			
Chapters in books			

11. a) The place where the applicant proposes to Guide Research
    _____

b) Whether the college or Institution where the Research work is to be carried out is recognized by the Institute as a Research Centre in the specialty concerned OR whether it is MoU institute of ITRA_____

_____

Signature of Applicant

Seal and Signature of the Head of the Department

_____

Seal and Signature of the Head of the Institution
Where the Research work is to be carried out _____

Seal and Signature of the Head of the Institution
Where the applicant is employed (Only in case where the Research work is to be carried out is different from the institute where the applicant is employed)

_____

Enclosure
1) True Copy of Post Graduate Degree or Doctoral Degree or Notification.
2) Experience Certificate
3) First page of published research papers
4) First page of Book or Monograph or index and first page of book (in which chapter published) & Initial page of chapter.

Particulars of payment of Fee Rs. 1000/- Receipt No. _____ Date:_____

FOR OFFICE USE ONLY

Recommendation **(A) Recommended** **(B) Not Recommended**

Remarks if any_____

Sign of scrutiny committee:
1)

2)

3)

Annexure-D

[See sub-regulation (1) of regulation 27]

BOND TO BE EXECUTED BY A SCHOLAR OF THE
DOCTOR OF PHILOSOPHY Ph.D. AYURVEDA (SPECIALTY)

Fellowship of the Institute of Teaching & Research in Ayurveda for monthly fellowship to be received by him / her ……

This Bond made on the_____ day of _____ at Jamnagar by …….scholar of the Ph.D. Ayurveda …….of the Institute of Teaching & Research in Ayurveda here in after called the scholar of first part and

…….son / daughter of Shri ……..Adult, resident of …… (first Surity) here in after called collectively referred to as the sureties of the second part on favour of the Institute of Teaching & Research in Ayurveda, Jamnagar.

Whereas the scholar when admitted to the Doctor of Philosophy in Ayurveda will be getting a fellowship of ₹…… per month during first year of course and ₹…… during the second and third year of course in this institution, and whereas the Institute of Teaching & Research in Ayurveda has agreed to award the same on terms here in after security for due performance by the scholar for the said terms.

Now this bond witnesses as follows:-

1. In pursuance of the said agreement and in consideration of Institute of Teaching & Research in Ayurveda giving to the Research fellow, fellowship during the course of the training as aforesaid, the scholar hereby convenience with the Institute of Teaching & Research in Ayurveda that he / she shall carry on with his / her Research work in Ph.D. course in Ayurveda and complete the course after appearing at all the examinations as required under the rules.
2. After commencement of the said course for its complete tenure (successfully) that, I hereby agree and abide by that I will serve the institution or any other institutions ordered and directed to me by Institute of Teaching & Research in Ayurveda for a period of tenure of course and if I breach of this condition on committing default in serving the Institution than I hereby agree and undertake that in case of a default on my part I shall be liable to refund in total emoluments of the said Ph.D. Course drawn by me for the tenure and I shall liable to pay all expenses incurred for me by the institution.
3. In the pursuance of the said agreement, that if the said scholar while in institution shall duly and faithfully devote to and execute, perform and discharge all the duties without causing and inquiry loss or damage by reason of any act, default, negligence, or error in judgments to the Institution.
4. Within a period of 10 days from the date of his / her completing the period of the said course he / she give to a notice University by registered post, in writing intimation for the completion his / her period of the said course.
5. In pursuance of the said agreement and for consideration aforesaid the scholar and sureties hereby agree that if the scholar would fail to complete the course in accordance with the covenant in that behalf contain or in clause (1) above or shall discontinue his / her research work for any reason what so ever the scholar and sureties shall jointly and separately liable to pay to the Institute of Teaching & Research in Ayurveda, the total amount of fellowship paid by the Institute of Teaching & Research in Ayurveda and received by the scholar as aforesaid.

Scholar and sureties are hereby further agree that if the scholar leaves the institute without any sufficient reason within 2 (two) months of the Admission or due to any reason after 2 months of the Admission, then he / she has to pay Rs. 3,00,000/- (Rs. Three Lakhs) to the Institute of Teaching & Research in Ayurveda, in advance to get back his / her original certificates / mark sheets.

In witness whereof this bond has been signed by the sand sureties on the day, months of year in above mentioned.

Signed by the scholar: _____

Address:

1. Witness:

2. Witness:

Singed by the First Surety: Date:

Address:

1. Witness:

2. Witness:

Singed by the Second Surety: Date:

Address:

1. Witness:

2. Witness:

Before me_____
Rubber Stamp of the Judicial Magistrate

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.03.09 19:28:23 +05'30'